IFAD
investing in rural people

एकीकृत आजीविका संवाद

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

अंक 5, अगस्त-अक्टूबर, 2015

अनुक्रम...

02 परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ
03 समुदाय के सहयोग से परियोजना का संचालन
05 परियोजना के सहयोग से व्यावसायिक फसल उत्पादन
09 एक्सपो-2015 में फैडरेशनों की प्रतिभागिता
09 आजीविका संगठनों की आत्मनिर्भरता हेतु एक पहल
10 मसाला प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना
12 उन्नत तकनीक के माध्यम से सब्जी उत्पादन
15 वर्मी खाद उत्पादन से आजीवका वृद्धि
16 महिलाएं बनी जागरूक
19 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की जैंडर रणनीति
24 ज्ञान प्रबन्धन

40 नये आजीविका संगठनों का गठन

37 आजीविका संगठनों का पंजीकरण सम्पन्न

उत्पादक समूहों के माध्यम से वन विकास की अभिनव पहल

संगठन से स्वावलम्बन की ओर

परियोजना की मुख्य गतिविधियाँ

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS) द्वारा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के घटक-1 खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस घटक के अन्तर्गत जनपदों में की जा रही गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है-

1 आजीविका संगठन

- 69 फैडरेशनों द्वारा ₹1793.00 लाख के टर्नओवर में ₹ 120.00 लाख का लाभ प्राप्त किया गया है।
- 40 नये आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है।
- 17 नये विकासखण्डों के 1121 ग्रामों में 4034 उत्पादक/निर्बल उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है जिनसे 36106 सदस्य जुड़े हैं। कुल 3307 उत्पादक समूहों के 30,288 सदस्यों को विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹1093.29 लाख का वित्तीय सहयोग दिया गया है।

2 विपणन/बजार पहुँच

- फैडरेशन, विभिन्न वैल्यूचेन आधारित उत्पादों का विपणन कर रहे हैं वर्तमान तक 69 फैडरेशनों द्वारा किये गये विपणन का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वेल्यूचेन	कुल विपणन(₹ में)
1	परम्परागत फसल उत्पादन बेमौसमी	₹ 837.12 लाख
2	सब्जी उत्पादन	₹ 325.86 लाख
3	उद्यानिकी	₹ 36.86 लाख
4	औषधीय एवं सगंध पौध	₹ 8.01 लाख
5	डेयरी	₹ 129.69 लाख
6	मुर्गीपालन	₹ 29.56 लाख
7	ईकोटूरिज्म	₹ 29.89 लाख
8	गैरकृषि क्षेत्र	₹ 38.90 लाख

- वर्ष 2014-15 में 01 संग्रहण केन्द्र (Collection Center) की स्थापना जनपद अल्मोड़ा में की जा चुकी है तथा 10 फैडरेशनों के नाम भूमि हस्तांरित हो चुकी है, जिसमें निर्माण कार्य प्रस्तावित है। भविष्य में इस प्रकार के 30 संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है।
- जनपद चमोली की फैडरेशनों को 500 किग्रा॰ कुटकी की आपूर्ति हेतु कार्यआदेश का अनुबंध इमामी लि॰ के साथ सम्पन्न हो चुका है तथा जनपद चमोली, बागेश्वर एवं उत्तरकाशी हेतु औषधीय एवं सगंध पौध उत्पादन हेतु विपणन संस्थानों के साथ अनुबंध खेती हेतु प्रयास प्रगति पर है।
- विपणन हेतु विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों (अन्तर्राष्ट्रीय एग्री एवं हॉर्टि एक्सपो दिल्ली आदि) में फैडरेशनों द्वारा प्रतिभाग किया तथा उत्पादों का विक्रय किया गया।
- जनपद अल्मोड़ा के चार फैडरेशनों एवं विनोधरा के मध्य बेमौसमी सब्जी उत्पादन (मटर) हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित हो चुका है।

3 अभिनव कार्यों में पहल

- राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से परियोजना क्षेत्र के मौनपालक एवं मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता विकास तथा वेल्यूएडिशन का कार्य आरम्भ किया गया है।
- भेड़ एवं ऊन विकास परिषद के समन्वयन से भेड़ों की स्वास्थ्य जांच, दवापान तथा क्रेता-विक्रेता बैठक हेतु 15 शिविरों का आयोजन किया गया।
- उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से पशुनस्ल सुधार व प्राथमिक चिकित्सा हेतु 70 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना।
- बेमौसमी ओलावृष्टि के क्रम में 11 पर्वतीय जनपदों में कृषि विभाग के माध्यम से 65 हजार किसानों को कृषि बीज एवं उद्यान विभाग के माध्यम से 01 लाख किसानों को उद्यानिकी बीज मिनी किट वितरण कार्य प्रगति पर।

4 रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण

- परियोजना क्षेत्र के युवक/युवतियों को रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 6 संस्थानों के माध्यम से, 11 ट्रेडों में 694 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नामांकित किया गया जिनमें से 619 युवक/युवतियों के प्रशिक्षण पूर्ण हो गये हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त 445 युवक/युवतियों (65%युवतियाँ) को रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। रोजगार प्रस्ताव मिलने के उपरान्त 225 युवक/युवतियाँ (65% युवतियाँ) विभिन्न संस्थानों में कार्यरत हैं।

परियोजना समिति जलागम प्रबंध निदेशालय (PS-WMD) द्वारा परियोजना के घटक-2 सहभागी जलागम विकास का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जल एवं जलागम प्रबंधन समिति

- इसके अन्तर्गत 22 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के 70194 है0 क्षेत्र में 187 ग्राम पंचायतों की सहभागिता के माध्यम से जलागम विकास योजना हेतु 148 'जल एवं जलागम प्रबंधन समिति' गठित की गई है। इन गठित समितियों के माध्यम से सहभागी जलागम विकास का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

समुदाय के सहयोग से परियोजना का संचालन

विजय कुमार, मुख्य परियोजना निदेशक
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

आशा करता हूँ कि 'एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना' द्वारा प्रत्येक त्रैमास में प्रकाशित हो रही 'एकीकृत आजीविका संवाद' पत्रिका का बदला हुआ रूप आपको पसंद आ रहा होगा। प्रयास यह है कि परियोजना द्वारा राज्य के 11 जनपदों (UGVS-8, PS-WMD-3) में की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियों के बारे में समस्त हितभागियों के मध्य सूचनाओं का संचार सतत् बना रहे। अत: परियोजना के सभी हितभागियों व आम जनमानस से मेरा निवेदन है कि इस त्रैमासिक पत्रिका का भरपूर उपयोग करें तथा परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

कार्यकर्ताओं व हमारी सहयोगी तकनीकी संस्थाओं के अथक परिश्रम से परियोजना की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। 19 से 22 अगस्त, 2015 के मध्य उत्तराखण्ड में ILSP परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए आये आईफैड मिशन ने भी परियोजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। इसके लिए परियोजना से जुड़े सभी हितभागी, उत्पादक समूह व कृषक परिवार बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भविष्य में और अधिक ऊर्जा के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं परियोजना लक्ष्यों को पाने की दिशा में तीव्र गति से प्रगति करेंगे।

परियोजना द्वारा पिछले एक वर्ष में राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के 1121 गाँवों में लगभग 4000 से अधिक उत्पादक समूहों का गठन किया जा चुका है। इन समूहों के माध्यम से लगभग 40,000 परिवार परियोजना की गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। एक वर्ष की संक्षिप्त अवधि में प्राप्त हुआ यह लक्ष्य सराहनीय है। निकट भविष्य के लिए परियोजना की रणनीति यह है कि जहाँ एक ओर नये समूहों का गठन होना है वहीं दूसरी ओर गठित हो चुके समूहों को सशक्त बनाया जाना है। समूहों का गठन तो एक शुरुआत मात्र है। वास्तविक लक्ष्य तो गाँव में समूहों के रूप में छोटी-छोटी उत्पादन ईकाइयाँ स्थापित करना है। इन इकाईयों को उत्पाद विशेष पर आधारित मूल्य संवर्धन श्रृंखला (Value Chain) से जोड़ना है। उत्पादक समूहों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना द्वारा उन्हें Revolving Fund के रूप में आर्थिक सहायता व तकनीकी जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं।

परियोजना के लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादक समूह के माध्यम से जुड़े इन सभी परिवारों को आजीविका संगठन के रूप में संगठित किया जा रहा है व उन्हें विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में 40 नये आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है। परियोजना में प्रत्येक स्तर पर यह मंथन चल रहा है कि किस प्रकार समुदाय के साथ मिलकर आजीविका संगठनों की उत्पादन क्षमता व मार्केट लिंकेजेज को बढ़ाया जाये। नवनिर्मित आजीविका संगठन, कृषि उत्पादन के अतिरिक्त अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में सक्षम बनें, इस हेतु एक व्यापक रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है।

परियोजना की सफलता नि:संदेह कार्यकर्ताओं व सहयोगी संस्थाओं एवं उत्पादक समूहों के श्रम पर निर्भर करती है। यद्यपि यह श्रम तभी फलीभूत होता है, जब क्षेत्र की जनता का सहयोग परियोजना को प्राप्त हो। 'एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना' का मुख्य लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों से निर्धनता को दूर करना है और इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि परियोजना को राज्य की ग्रामीण जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और हम मिलकर परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे।

आप सभी को दशहरा व दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें।

परियोजना समाचार

40 नये आजीविका संगठनों का गठन

गतिविधि

37 आजीविका संगठनों का पंजीकरण सम्पन्न

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत आजीविका संवर्द्धन की प्रक्रिया के दूसरे चरण में, उत्पादक समूहों के द्वितीय स्तर के संगठन 'आजीविका संगठनों (LC)' के गठन की शुरूआत पिछले त्रैमास से हो चुकी है।

पिछले त्रैमास में कुल 29 आजीविका संगठनों का गठन एवं 04 को पंजीकृत कराया गया। वर्तमान तक कुल 40 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है तथा गठित आजीविका संगठनों में से कुल 37 पंजीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से 04 का विवरण पूर्व अंक में दिया जा चुका है। इस त्रैमास में पंजीकृत आजीविका संगठनों का जनपदवार विवरण इस प्रकार से है-

जनपद बागेश्वर

जनपद बागेश्वर के गरूड़ विकासखण्ड में तीन आजीविका संगठनों- बैजनाथ आजीविका स्वायत्त सहकारिता, संजीवनी अजीविका स्वायत्त सहकारिता तथा दिब्येश्वरी अजीविका स्वायत्त सहकारिता का गठन करके पंजीकरण किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
बैजनाथ	अध्यक्ष- श्रीमती चम्पा देवी	पुरडा
आजीविका स्वा.	उपाध्यक्ष- श्रीमती बसंती देवी	दुदिला
सह.	कोषाध्यक्ष- श्री मोहन सिंह	तैलीहाट
संजीवनी	मुख्य पर्वतक- श्रीमती हेमलता	नौघर
आजीविका स्वा.	कोषाध्यक्ष- श्रीमती खष्टी देवी	धैना
सह.	उपाध्यक्ष- श्री हीरा सिंह	लखनी
दिब्येश्वरी	मुख्य पर्वतक- श्रीमती शोभा देवी	कनस्यारी
आजीविका स्वा.	कोषाध्यक्ष- श्री ललित मोहन	थल्लासिन
सह.	उपाध्यक्ष- श्रीमती गायत्री रावत	मन्यूडा

जनपद रूद्रप्रयाग

जनपद रूद्रप्रयाग में अब तक कुल 06 आजीविका संगठनों का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है। पिछले त्रैमास में 02 तथा इस त्रैमास 4 अजीविका संगठनों को पंजीकृत कराया गया है। इस त्रैमास में गठित आजीविका संगठनों- **माँ मठियाणा आजीविका, जागृति आजीविका, कार्तिक स्वामी तथा उच्छडुगरी आजीविका** स्वायत्त सहकारिताओं को पंजीकृत कराया जा चुका है, जिनका विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है-

विकासखण्ड जखोली

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
माँ मठियाणा	अध्यक्ष- श्रीमती सुलोचना देवी	हरियाली
आजीविका स्वा.	कोषाध्यक्ष- श्रीमती सुभद्रा देवी	सिलगाँव
सह.	सचिव- श्रीमती सरिता देवी	विराणगाँव
जागृति	अध्यक्ष- श्रीमती बसु देवी	कपणियाँ
आजीविका स्वा.	कोषाध्यक्ष- श्रीमती शशि देवी	मखेत
सह.	सचिव- श्रीमती विनीता देवी	कपणियाँ
कार्तिक स्वामी	अध्यक्ष- श्रीमती पर्वती देवी	खाल्यूँ
आजीविका स्वा.	कोषाध्यक्ष- श्रीमती लक्ष्मी देवी	बड़ेथ
सह.	सचिव- श्रीमती शशि देवी	चमेली
उच्छडुंगरी	अध्यक्ष- श्रीमती सुनीता देवी	जैकंडी
आजीविका स्वा.	कोषाध्यक्ष- श्रीमती राधा देवी	कंसील
सह.	सचिव- श्रीमती कुसुम देवी	भंज

जनपद चमोली

जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में अब तक कुल 03 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है। इस त्रैमास में एक और संगठन **नंदा देवी आजीविका स्वायत्त सहकारिता** का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है, जिसके निदेशक मंडल के प्रतिनिधियों का विवरण इस प्रकार से है-

निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
अध्यक्ष- श्रीमती नीमा देवी	चेपडोन
कोषाध्यक्ष- श्रीमती इंदु देवी	सूना
सचिव- श्रीमती सुमन देवी	सगवाडा

जनपद देहरादून

जनपद देहरादून में अब तक कुल 08 आजीविका संगठनों- खट कोरू बालड़ आजीविका बहुउद्देशीय, खट शैली बहुउद्देशीय आजीविका, सब्जी एवं फल बहुउद्देशीय आजीविका, विशायल खट बहुउद्देशीय आजीविका, खत देवघर आजीविका, प्रगति आजीविका, उन्नति आजीविका, यमुना आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है, जिनका विकासखण्डवार निम्नवत् है-

विकासखण्ड कालसी

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
खटकोरू बालड़ आजीविका बहु. स्वा.सह.	अध्यक्ष- श्री पूरन सिंह	कुशौ
	कोषाध्यक्ष- श्री केदार सिंह	अलमन
	सचिव- श्री बारू सिंह	अस्ता
खट शैली बहु. आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती ममता देवी	कुनावा
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती अनारी देवी	नगौ
	सचिव- श्रीमती बबीता देवी	कैतरी
फल बहु. आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्री मोहन लाल भट्ट	कहानेरा-पुन्हा
	सचिव- श्री गजेंद्र सिंह तोमर	बिजाऊ
बिसायल खट बहु. आजीविका स्वा.सह.	अध्यक्ष- श्रीमती आशा नेगी	फिहानी
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती अल्पना चौहान	कोटाडिमाऊ
	सचिव- श्रीमती रिशु शर्मा	सेमोग

विकासखण्ड चकराता

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
खत देवघर आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्री मातबर सिंह	भागवत
	कोषाध्यक्ष- श्री कौल सिंह	अटल
	सचिव- श्री रामानन्द शर्मा	अनु
प्रगति आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती झिंगरी देवी	मशक
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती गीता देवी	रजनु
	सचिव- श्रीमती झजु देवी	बिनसौर
उन्नति आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती बामो देवी	दासू
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती कांता देवी	दासू
	सचिव- श्रीमती सविता देवी	गमटी
यमुना आजीविका बहु. स्वा.सह.	अध्यक्ष- श्रीमती सविता देवी	लोहरी
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती शीला देवी	त्यूना
	सचिव- श्रीमती सरिता देवी	जडी

जनपद उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में आजीविका संगठन के रूप में **चारा विकास समिति** का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है। समिति के प्रतिनिधियों का विवरण निम्नवत् है-

निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
अध्यक्ष- श्री भरत सिंह	लाटा
कोषाध्यक्ष- श्रीमती भरतदेई देवी	लाटा
सचिव- श्रीमती पर्तमा देवी	लाटा

गतिविधि

40 नये आजीविका संगठनों का गठन

37 आजीविका संगठनों का पंजीकरण सम्पन्न

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत आजीविका संवर्द्धन की प्रक्रिया के दूसरे चरण में, उत्पादक समूहों के द्वितीय स्तर के संगठन 'आजीविका संगठनों (LC)' के गठन की शुरूआत पिछले त्रैमास से हो चुकी है।

पिछले त्रैमास में कुल 29 आजीविका संगठनों का गठन एवं 04 को पंजीकृत कराया गया। वर्तमान तक कुल 40 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है तथा गठित आजीविका संगठनों में से कुल 37 पंजीकृत किये जा चुके हैं जिनमें से 04 का विवरण पूर्व अंक में दिया जा चुका है। इस त्रैमास में पंजीकृत आजीविका संगठनों का जनपदवार विवरण इस प्रकार से है-

जनपद बागेश्वर

जनपद बागेश्वर के गरूड़ विकासखण्ड में तीन आजीविका संगठनों- बैजनाथ आजीविका स्वायत्त सहकारिता, संजीवनी अजीविका स्वायत्त सहकारिता तथा दिब्येश्वरी अजीविका स्वायत्त सहकारिता का गठन करके पंजीकरण किया जा चुका है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
बैजनाथ आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती चम्पा देवी	पुरडा
	उपाध्यक्ष- श्रीमती बसंती देवी	दुदिला
	कोषाध्यक्ष- श्री मोहन सिंह	तैलीहाट
संजीवनी आजीविका स्वा. सह.	मुख्य पर्वतक- श्रीमती हेमलता	नौघर
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती खष्टी देवी	धैना
	उपाध्यक्ष- श्री हीरा सिंह	लखनी
दिब्येश्वरी आजीविका स्वा. सह.	मुख्य पर्वतक- श्रीमती शोभा देवी	कनस्यारी
	कोषाध्यक्ष- श्री ललित मोहन	थल्लासिन
	उपाध्यक्ष- श्रीमती गायत्री रावत	मन्यूडा

जनपद रूद्रप्रयाग

जनपद रूद्रप्रयाग में अब तक कुल 06 आजीविका संगठनों का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है। पिछले त्रैमास में 02 तथा इस त्रैमास 4 अजीविका संगठनों को पंजीकृत कराया गया है। इस त्रैमास में गठित आजीविका संगठनों- **माँ मठियाणा आजीविका, जागृति आजीविका, कार्तिक स्वामी तथा उच्छडुगरी आजीविका** स्वायत्त सहकारिताओं को पंजीकृत कराया जा चुका है, जिनका विकासखण्डवार विवरण निम्नानुसार है-

विकासखण्ड जखोली		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
माँ मठियाणा आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती सुलोचना देवी	हरियाली
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती सुभद्रा देवी	सिलगाँव
	सचिव- श्रीमती सरिता देवी	विराणगाँव
जागृति आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती बसु देवी	कपणियाँ
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती शशि देवी	मखेत
	सचिव- श्रीमती विनीता देवी	कपणियाँ
कार्तिक स्वामी आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती पर्वती देवी	खाल्यूँ
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती लक्ष्मी देवी	बड़ेथ
	सचिव- श्रीमती शशि देवी	चमेली
उच्छडुंगरी आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती सुनीता देवी	जैकंडी
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती राधा देवी	कंसील
	सचिव- श्रीमती कुसुम देवी	भंज

जनपद चमोली

जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में अब तक कुल 03 आजीविका संगठनों का गठन किया जा चुका है। इस त्रैमास में एक और संगठन **नंदा देवी आजीविका स्वायत्त सहकारिता** का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है, जिसके निदेशक मंडल के प्रतिनिधियों का विवरण इस प्रकार से है-

निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
अध्यक्ष- श्रीमती नीमा देवी	चेपडोन
कोषाध्यक्ष- श्रीमती इंदु देवी	सूना
सचिव- श्रीमती सुमन देवी	सगवाडा

जनपद देहरादून

जनपद देहरादून में अब तक कुल 08 आजीविका संगठनों- खट कोरू बालड़ आजीविका बहुउद्देशीय, खट शैली बहुउद्देशीय आजीविका, सब्जी एवं फल बहुउद्देशीय आजीविका, विशायल खट बहुउद्देशीय आजीविका, खत देवघर आजीविका, प्रगति आजीविका, उन्नति आजीविका, यमुना आजीविका बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है, जिनका विकासखण्डवार निम्नवत् है-

विकासखण्ड कालसी

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
खटकोरू बालड़ आजीविका बहु. स्वा.सह.	अध्यक्ष- श्री पूरन सिंह	कुशौ
	कोषाध्यक्ष- श्री केदार सिंह	अलमन
	सचिव- श्री बारू सिंह	अस्ता
खट शैली बहु. आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती ममता देवी	कुनावा
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती अनारी देवी	नगौ
	सचिव- श्रीमती बबीता देवी	कैतरी
फल बहु. आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्री मोहन लाल भट्ट	कहानेरा-पुन्हा
	सचिव- श्री गजेंद्र सिंह तोमर	बिजाऊ
बिसायल खट बहु. आजीविका स्वा.सह.	अध्यक्ष- श्रीमती आशा नेगी	फिहानी
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती अल्पना चौहान	कोटाडिमाऊ
	सचिव- श्रीमती रिशु शर्मा	सेमोग

विकासखण्ड चकराता

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
खत देवघर आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्री मातबर सिंह	भागवत
	कोषाध्यक्ष- श्री कौल सिंह	अटल
	सचिव- श्री रामानन्द शर्मा	अनु
प्रगति आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती झिंगरी देवी	मशक
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती गीता देवी	रजनु
	सचिव- श्रीमती झजु देवी	बिनसौर
उन्नति आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती बामो देवी	दासू
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती कांता देवी	दासू
	सचिव- श्रीमती सविता देवी	गमटी
यमुना आजीविका बहु. स्वा.सह.	अध्यक्ष- श्रीमती सविता देवी	लोहरी
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती शीला देवी	त्यूना
	सचिव- श्रीमती सरिता देवी	जडी

जनपद उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखण्ड में आजीविका संगठन के रूप में **चारा विकास समिति** का गठन कर पंजीकरण कर लिया गया है। समिति के प्रतिनिधियों का विवरण निम्नवत् है-

निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
अध्यक्ष- श्री भरत सिंह	लाटा
कोषाध्यक्ष- श्रीमती भरतदेई देवी	लाटा
सचिव- श्रीमती पर्तमा देवी	लाटा

जनपद अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा में अब तक कुल 09 आजीविका संगठनों- लक्ष्य आजीविका, पंचवाटिका आजीविका, माँ दूनागिरी आजीविका, माँ अगनेरी आजीविका, एकता आजीविका, संगम आजीविका, उज्जवल आजीविका, विकास आजीविका, माँ गरजिया आजीविका, राजा जी आजीविका तथा संगम आजीविका स्वायत्त सहकारिता का गठन कर पंजीकरण कराया गया है, जिनका विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है-

विकासखण्ड भिकियासैंण		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
लक्ष्य आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती भगवती देवी	लोकोट
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती कमला पंत	लोकोट
	सचिव- श्रीमती गीता देवी	होली
पंचवाटिका आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती तारा देवी	गंगोरा
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती महादेवी	तानी
	सचिव- श्रीमती शशिकला	सिनोरा
विकासखण्ड भिकियासैंण		
माँ दूनागिरी आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती आशा देवी	मेहलचौरा
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती हेमा देवी	मेहलचौरा
	सचिव- श्रीमती पार्वती देवी	बैराटी
माँ अगनेरी आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती मंजू देवी	नगर
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती लक्ष्मी देवी	डुडियाला
	सचिव- श्रीमती कमला देवी	उडलिखान
विकासखण्ड हवालबाग		
एकता आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती पुष्पा देवी	गलीबस्यूरा
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती लीला देवी	गुरना
	सचिव- श्रीमती प्रेमा देवी	उजगल
संगम आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती प्रेमा मेहता	बल्ता
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती पुष्पा देवी	बरसीमी
	सचिव- श्री भूपेन्दर सिंह	मट
उज्जवल आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्री चंदन लाल	ढामस
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती किरन बिष्ट	मटेला
	सचिव- श्री दिनेश जोशी	मटेला
विकास आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती मुन्नी देवी	हवालबाग
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती मंजू आर्य	उडियारी
	सचिव- श्री खीम सिंह रावत	कुजरी

विकासखण्ड सल्ट		
आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
माँ गरजिया आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्री त्रिभुवन सत्यवली	मचौर
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती हेमा देवी	कटाली
	सचिव- श्रीमती सुनीता देवी	डांग
राजा जी आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती अनीता कण्डारी	तोलियो
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती खष्टी देवी	लुहेरा
	सचिव- श्रीमती सीमा मौलखी	हरदा
संगम आजीविका स्वा. सह.	अध्यक्ष- श्रीमती बसंती देवी	घकाट
	कोषाध्यक्ष-श्रीमती उमा देवी	देवायल
	सचिव- श्रीमती श्यामा देवी	तल्लीपोखरी

जनपद टिहरी

जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में दो आजीविका संगठनों- माँ सुरकण्डा तथा सकलाना स्वायत्त सहकारिता का गठन कर पंजीकरण करवाया जा चुका है जिसका विवरण निम्नवत् है-

आजीविका संगठन	निदेशक मंडल प्रतिनिधि	गाँव का नाम
माँ सुरकण्डा स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष- श्री प्रभुलाल सकलानी	हबेली
	कोषाध्यक्ष- श्रीमती विमला देवी	पिजरगाँव
	सचिव- श्रीमती लक्ष्मी देवी	उनियालगाँव
सकलाना स्वायत्त सहकारिता	अध्यक्ष- श्री सुशील कण्डारी	मंजगाँव
	कोषाध्यक्ष- श्री सुरेन्द्र सिंह	हटवाल
	सचिव- श्रीमती सरिता रावत	लमकंडे

आजीविका संगठनों की राज्य स्तरीय 'शीर्ष संस्था'

परियोजना द्वारा आजीविका संगठनों हेतु राज्य स्तर पर एक शीर्ष संस्था (Apex Body) को स्थापित किया जायेगा। यह संस्था आजीविका संगठनों द्वारा तैयार उत्पादों व दी जा रही सेवाओं को 'हिलांस' ब्राण्ड के रूप में प्रचारित व प्रसारित करेगी। उक्त शीर्ष संस्था राज्य में गठित सभी आजीविका संगठनों/फैडरेशनों के हितों के लिए कार्य करेगी व उनसे संबंधित विषयों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उठायेगी व संबंधित नीतियों पर भी प्रभाव डालेगी। संस्था का संचालन पूर्ण रूप से इसमें शामिल आजीविका संगठनों के सदस्यों के हाथों में होगा। शुरुआती कुछ वर्षों में परियोजना द्वारा उक्त संस्था को मार्गदर्शन अवश्य दिया जायेगा।

एक्सपो–2015 में फैडरेशनों की प्रतिभागिता

11th Governments Achievements Expo- 2015, New Delhi

26 से 31 जुलाई 2015 तक प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित 11th Governments Achievements Expo- 2015 (इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एण्ड हॉर्टि-एक्सपो, गवर्नमेंट एण्ड स्कीम्स-एक्सपो व फूड एण्ड टॅक्नोलॉजी ट्रेड फेयर) में परियोजना द्वारा प्रतिभाग किया गया। नारी एकता स्वायत्त सहकारिता जमराडी अल्मोड़ा, अभोर ताम्र उद्योग बोरगाँव बागेश्वर तथा महासूदेवता स्वायत्त सहकारिता मोरी, उत्तरकाशी द्वारा एक्सपो में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। फैडरेशनों द्वारा विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी के दौरान बिक्री की गई।

फैडरेशनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एक्सपो के दौरान विभिन्न क्रेताओं व व्यापारियों के मध्य पारम्परिक कृषि व गैर कृषि उत्पादों के विपणन हेतु सम्पर्क बने। इसके साथ ही Organic Food Sand spices, Home burps Delhi, U.H.H.D.C Himadri Delhi, Ravi Gupta, Kera tech से परियोजना के उत्पादों की माँग भी प्राप्त हुई।

आजीविका संगठनों की आत्मनिर्भरता हेतु एक पहल

'अल्मोड़ा आजीविका स्टोर'

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनों की व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। संगठन सदस्यों को जहाँ एक ओर वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान कर उनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु कार्य किये जा रहे हैं, वहीं बेहतर बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए परियोजना द्वारा सामुदायिक संगठनों के उत्पादों के विपणन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, अल्मोड़ा के सहयोग से एक विपणन केन्द्र **'अल्मोड़ा आजीविका स्टोर'** खोला गया है। इस केन्द्र के माध्यम से परियोजनान्तर्गत गठित उत्पादक/स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।

2 अक्टूबर 2015 को माननीय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री मनोज तिवारी द्वारा 'अल्मोड़ा आजीविका स्टोर' का उद्घाटन किया गया तथा उन्होंने परियोजना के इसे सामुदायिक संगठनों के हित में किया जा रहा सच्चा एवं धरातलीय प्रयास बताया। जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक-डी.आर.डी.ए. ने परियोजना के सरकारी विभागों के साथ इस सामन्जस्य को बेहतर बताते हुए कहा कि यह विपणन केन्द्र सामुदायिक संगठनों को बाजार उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभायेगा। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने कहा कि सामुदायिक संगठनों की सततता के लिए किया गया यह प्रयास सराहनीय है तथा हम सभी को इसकी सततता हेतु में रणनीतिक एवं नियमित प्रयास करने होंगे।

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक डॉ. हीराबल्लभ पन्त ने माननीय विधायक, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक-डी.आर.डी.ए. एवं जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना द्वारा अल्मोड़ा आजीविका स्टोर को लक्ष्य तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, UGVS
जनपद अल्मोड़ा

मसाला प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना

समूह के माध्यम से फल, फूल एवं सब्जी उत्पादन

मूनाकोट, पिथौरागढ़

ग्राम रज्यूड़ा, पिथौरागढ़ जिले के विकासखण्ड मूनाकोट का 105 परिवारों का एक सीमान्त गाँव हैं। इनमें से अधिकतर परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के हैं। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती, पशुपालन व उद्यानिकी है। सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण ज्यादातर खेती वर्षा पर आधारित है।

परियोजना द्वारा वर्ष 2014 में, ग्राम रज्यूड़ा में उत्पादक समूहों का गठन किया गया। साथ ही गाँव में ग्रामीण विकास समिति द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को भी अंगीकृत किया गया। इन्हीं में से एक समूह का नाम महाकाली स्वयं सहायता समूह है। समूह में 5 सदस्य हैं। सभी सदस्य प्रगतिशील काश्तकार हैं। समूह के अध्यक्ष श्री कृष्णमणि भट्ट, सभी सदस्यों के आपसी तालमेल एवं अपनी संगठनात्मक सूझ-बूझ से, समूह में मसाला उत्पादन व सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण, बन्दरों व सुअरों के आंतक से परेशान थे। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने अपने खेतों में हल्दी, मिर्च व धनिया का उत्पादन प्रारम्भ किया। बाजार के साथ सम्पर्क न होने के कारण काश्तकरों को उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था। महाकाली समूह ने अपनी बचत के माध्यम से गाँव में एक मसाला प्रसंस्करण यूनिट (चक्की) की स्थापना की। इस यूनिट में समूह द्वारा न सिर्फ अपने सदस्यों बल्कि लगभग सभी काश्तकारों द्वारा उत्पादित मसालों की पिसाई की गयी। इसके साथ ही समूह द्वारा मसालों की पैकेजिंग कर मार्केटिंग का काम शुरू किया गया।

मसाला यूनिट की स्थापना:-

परियोजना द्वारा स्वयं सहायता महाकाली स्वयं सहायता समूह को अंगीकृत किये जाने पर उनके द्वारा स्थापित की गई मसाला यूनिट के विस्तारीकरण की योजना बनायी गयी। साथ ही यूनिट हेतु अधिक क्षमता वाली मशीनें भी क्रय की गयी। इसके क्रम में समूह अध्यक्ष श्री कृष्णमणि भट्ट द्वारा गौरीहाट बाजार में एक स्थान का चयन कर, नवीन मसाला यूनिट की स्थापना की गई। प्रभागीय प्रबन्धन ईकाई, पिथौरागढ़ के सहयोग से पिथौरागढ़ के **मुख्य विकास अधिकारी-श्री विनोद गिरी गोस्वामी** जी दिनांक 5/8/2015 को मसाला यूनिट का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में इस मसाला यूनिट द्वारा विभिन्न मसाले तैयार करके आसपास के बाजारों जैसे- गौरीहाट, मजिरकांडा, झूलाघाट व पिथौरागढ़ बाजार में इनका विपणन किया जा रहा है। साथ ही तैयार मसालों को देहरादून भी भेजा जा रहा है। वर्तमान में उक्त मसाला यूनिट से माह अगस्त में ₹ 7 से 8 हजार का व्यापार किया गया तथा जिससे लगभग ₹1500/- का लाभ हुआ।

समूह को परियोजना द्वारा सहयोग राशि भी उपलब्ध करायी गयी, जिससे

समूह अपनी गतिविधियों का और अधिक विस्तार कर सके। परियोजना के माध्यम से प्रोत्साहन मिलने पर विस्तारीकरण हेतु क्षेत्र में उत्पादित आँवला, आम, दाड़िम, बुराँस, क्वीराल आदि के फलों व फूलों का उपयोग कर अचार व जूस बनाने का कार्य भी समूह द्वारा प्रारम्भ किया गया। गाँव के अन्य काश्तकार भी अपने कच्चे माल की बिक्री इसी समूह को कर रहे हैं। समूह सदस्यों द्वारा सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सब्जियों की पौध की नर्सरी भी बनाई गई है। जिसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि की पौध तैयार की जा रही है। इनका उपयोग समूह के सदस्य स्वयं के लिए व विक्रय करने के लिए भी कर रहे हैं। समूह द्वारा अपनाई गई गतिविधियों से सदस्यों की आय में वृद्धि हो रही है तथा अन्य समूह के सदस्यों की रूचि भी आजीविका सुधार की गतिविधियों में बढ़ रही है।

सहायक प्रबन्धक: मार्केट एक्सेस
जनपद: पिथौरागढ़ UGVS

रेशम से रोजगार तक

रेशम पालन विभाग के साथ अभिसरण कर रोजगार सृजन

सफलता

दशोली, चमोली

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, राज्य में निर्धन परिवारों की आजीविका संवर्धन हेतु अनेक गतिविधियों का संचालन, सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर कर रही है। इसके साथ ही परियोजना यह भी प्रयास कर रही है कि अभिसरण के माध्यम से राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा संचालित आजीविका सुधार हेतु योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ग्रामीण समुदायों को प्राप्त हो। यह प्रयास भी परियोजना कर रही है। परियोजना द्वारा रेशम पालन विभाग के साथ अभिसरण के माध्यम से माँ अनुसूया स्वायत्त सहकारिता विकासखंड दशोली के 06 गाँवों (दोगड़ी, कांडई, टंगसा, गैर, सैकोट व घुड़साल) में वर्ष 2011-12 में 22 हजार शहतूत के पौधों का रोपण करवाया गया था। साथ ही समूहों की सदस्यों को रेशमपालन विभाग से प्रशिक्षण भी दिलवाया गया था।

रोपण के तीन वर्ष पश्चात जब पेड़ तैयार हो गए तो वर्ष 2014-15 में परियोजना के माध्यम से माँ अनुसूया स्वायत्त सहकारिता द्वारा रेशम पालन विभाग के अन्तर्गत आत्मा परियोजना के साथ अभिसरण के अन्तर्गत 10 परिवारों को रेशम कीट पालन गृह तैयार करने हेतु ₹45 हजार व अन्य सामान हेतु ₹15 हजार प्रति परिवार की दर से कुल ₹6 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। इसके पश्चात उन लाभार्थियों द्वारा रेशम उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा माह अप्रैल 2015 में उनके द्वारा कुल 200 किग्रा॰ रेशम (प्रथम ग्रेड- 60 किग्रा॰, द्वितीय ग्रेड-50 किग्रा॰ एवं तृतीय ग्रेड-60 किग्रा॰) का उत्पादन कर विभाग को ही बेचा गया। इससे उन परिवारों को कुल ₹66 हजार की नगद आय प्राप्त हुई।

वर्तमान वर्ष में भी रेशम पालन विभाग द्वारा 11 अन्य परिवारों को रेशम कीट पालन हेतु ₹ 9.35 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। परियोजना की सहकारिताओं तथा रेशम पालन विभाग के साथ मिलकर जहाँ गरीब परिवार सरकार व विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आजीविका बढ़ा रहे हैं, वहीं वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। शहतूत के पेड़ों से पशुओं के लिए हरा व पौष्टिक चारा भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, जिससे महिलाओं के कार्यबोझ में भी कमी आई है।

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, UGVS
जनपद चमोली

परियोजना समाचार

गतिविधि

उन्नत तकनीक के माध्यम से सब्जी उत्पादन

हवालबाग, अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग विकासखण्ड के ग्राम देवली में परियोजना की सहयोगी संस्था ग्रामीण समाज कल्याण समिति (ग्रास) ने ग्राम स्तर पर 5 उत्पादक समूहों - भूमिका, भानू, भारती, भास्कर व उन्नति का गठन किया। उन्नति उत्पादक समूह, ग्राम देवली के तोक घुराड़ी में है। यहाँ केवल 10 परिवार हैं, जिनमें से केवल 5 परिवार ही ऐसे हैं जो गाँव में रहकर कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। इन 5 परिवारों से उन्नति समूह में 05 सदस्य हैं। यहाँ मुख्यत: आलू, कद्दू, गडेरी, पत्तागोभी व धनिया की खेती की जाती है।

समूह गठन के उपरान्त परियोजना द्वारा ग्रास संस्था के सहयोग से, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समूह सदस्यों को खेत से बाजार तक की विस्तृत जानकारी दी गई। समूह द्वारा उन्नत तकनीक से नर्सरी एवं बैड/क्यारियों का निर्माण किया गया। तत्पश्चात पौधशाला से पौधों का खेतों में वैज्ञानिक ढंग से रोपण करवाया गया। इससे सब्जी उत्पादन की इनपुट लागत में कमी व उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।

परियोजना के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप समूह सदस्यों में अपने कृषि उत्पादों के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण आया है। उन्नति समूह के कोषाध्यक्ष श्री विपिन चन्द्र तिवारी ने बताया कि इस बार उन्होंने 20 नाली भूमि में आलू तथा 20 नाली में देसी कद्दू का उत्पादन किया। मौसम के विपरीत प्रभाव के कारण आलू का उत्पादन अनुमान से कम कुल 14 कु. हुआ। सदस्यों द्वारा कुल 10 कु. आलू का विपणन कर ₹22000/- की आय प्राप्त की गई। कद्दू का उत्पादन 20 से 22 कुन्टल हुआ जिससे अनुमानित ₹33600/- की आय प्राप्त हुई। उत्पादक समूह द्वारा उत्पाद का विपणन स्थानीय बाजार-अल्मोड़ा, लोधिया व सुयालबाड़ी में किया गया। समूह की अन्य फसलों में हरी सब्जी, धनिया, मूली, पालक व लाई का उत्पादन भी उत्तम रहा है। समूह ने बताया कि उपरोक्त हरी सब्जियों से कुल ₹ 19700/- की आमदनी हुई है। इसके अतिरिक्त समूह ने 10 नाली भूमि में गडेरी बोई है। उत्पादक समूह के सभी सदस्य परियोजना के मार्गदर्शन में की गई अपनी इन व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तारित करने के लिए उत्सुक है तथा परियोजना का धन्यवाद करते हैं।

श्रीमती दीपा सिराड़ी

आजीविका सुगमकर्ता, ग्रास, UGVS-ILSP

दो आजीविका संगठनों का आपसी समन्वयन

चौखुटिया, अल्मोड़ा

जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में परियोजना की सहयोगी संस्था आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा 14 ग्राम पंचायतों में कुल 45 उत्पादक समूहों का गठन कर 430 सदस्यों को परियोजना से जोड़ा गया। परियोजना के माध्यम से इनमें से 36 उत्पादक समूहों को गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए ₹09 लाख का सहयोग दिया गया। समूहों की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए न्याय पंचायत नौगांव अखोड़िया में किसानों व जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया।

परियोजना की अगली कड़ी के रूप में माँ दूनागिरी स्वायत्त सहकारिता के नाम से आजीविका संगठन का गठन कर पंजीकरण किया गया है। परियोजना द्वारा आजीविका संगठन के माध्यम से समूहों को अदरक का उत्पादन करने हेतु सुझाव दिया गया। 25 समूहों के 250 सदस्यों के साथ 25 कुं. अदरक बीज लगाना तय हुआ। अदरक बीज के लिए आजीविका संगठन द्वारा स्थानीय व अन्य बाजारों में सम्पर्क किया गया लेकिन अदरक बीज उपलब्ध नहीं हो पाया। परियोजना द्वारा पूर्व में गठित प्रगति स्वायत्त सहकारिता मोतियापाथर से इस हेतु सम्पर्क किया गया। उन्होंने ₹90 प्रति किग्रा० की दर से अदरक बीज उपलब्ध कराने की सहमति दी। माँ दूनागिरी स्वायत्त सहकारिता ने अपने सदस्यों हेतु प्रगति स्वायत्त सहकारिता से ₹ 02 लाख का बीज क्रय किया। अनुमान है कि इस बीज के माध्यम 250 कुं. अदरक का उत्पादन होगा। सहकारिता के इस सराहनीय प्रयास से क्षेत्र में जागरूकता व परियोजना के प्रति सकारात्मक माहौल बना है।

प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाई, UGVS

जनपद-अल्मोड़ा

शहर की नौकरी छोड़ गाँव में कृषि के माध्यम से आजीविका संवर्धन

बागेश्वर

जनपद बागेश्वर का खातीगाँव कलस्टर, घाटी वाला क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं नौकरी है। राज्य के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की भाँति यहाँ से भी युवा नौकरी की तलाश में गाँवों से लगातार पलायन कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका असर यहाँ की खेती पर पड़ रहा है।

इस क्लस्टर में 454 सदस्यों वाली कमस्यार घाटी स्वायत्त सहकारिता वर्ष 2008 से कार्यरत है। परियोजना द्वारा समय-समय पर समूहों के क्षमता विकास, शैक्षणिक भ्रमण एवं कृषि सम्बन्धित अनेक प्रशिक्षण दिये गये हैं।

कलस्टर के अन्तर्गत पड़ने वाले चकनागाँव के श्री शेखर सिंह रावत ने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ सब्जी उत्पादन और बागवानी का कार्य प्रारम्भ किया। मेहनती व दृढ़ इच्छा शक्ति वाले श्री शेखर सिंह रावत अपने खेतों में विभिन्न शाक भाजी और अन्य आय संवर्धित गतिविधियों से वर्ष में लगभग ₹ 01 लाख तक की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

अमर उजाला | अल्मोड़ा-बागेश्वर

शेखर ने बंजर को बनाया उपजाऊ

साल में करीब डेढ़ लाख रुपये की आमदनी

ऑफ सीजन की सब्जियों का उत्पादन भी किया

शेखर सिंह रावत परियोजना से जुड़े। परियोजना से जुड़कर उन्होंने अनेक प्रशिक्षण प्राप्त किये, जिनमें उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन आदि प्रमुख थे। प्रशिक्षणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने सब्जी उत्पादन और साथ में मुर्गीपालन का कार्य किया। धीरे-धीरे उनके उत्पादन में वृद्धि होने लगी। परियोजना के सहयोग से अपने उत्पादों को आस पास के बाजारों में विक्रय करना प्रारम्भ किया, जिससे उनकी आय में सतत् वृद्धि होने लगी।

वर्तमान समय में उनके पास 2 पॉलीहाउस हैं, जिसमें वह सब्जी उत्पादन करते हैं। साथ-साथ वह मुर्गीपालन एवं पशुपालन से भी आय अर्जित कर रहे हैं। सभी कामों में उनकी पत्नी श्रीमती बबीता रावत भी उनका पूरा साथ देती हैं, जो परियोजना द्वारा गठित देवी माता स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष है।

वर्ष 2013 में शेखर सिंह रावत ने एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के व्यापार समन्वयक श्री मोहन पाण्डे के सुझाव पर 7 नाली के खेत में नीबू प्रजाति के पौधों की नर्सरी तैयार की। वर्तमान में उनकी नर्सरी में लगभग 40 हजार पौध विक्रय हेतु तैयार हैं। शेखर सिंह रावत द्वारा किये गये कार्यों से प्रभावित होकर क्षेत्र के अन्य बेरोजगार भी सब्जी उत्पादन एवं अन्य आयअर्जक गतिविधियाँ से सम्बंधित कार्य अपनाने लगे हैं।

सहायक प्रबन्धक: PM&E&KM, UGVS
जनपद बागेश्वर

रेखीय विभागों के साथ समन्वयन कार्यशाला

भटवाड़ी, उत्तरकाशी

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा दिनाँक 18/6/2015 को विकासखण्ड भटवाड़ी, उत्तरकाशी के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय श्री विजयपाल सिंह सजवाण विधायक गंगोत्री विधान सभा एवं संसदीय सचिव उत्तराखण्ड सरकार थे। कार्यशाला से श्री जी॰एस॰ रावत मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी, श्री पूर्णानन्द भट्ट खण्डविकास अधिकारी भटवाड़ी एवं श्री बी॰के॰ भट्ट प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक भी उपस्थित थे। कार्यशाला में परियोजना क्षेत्र के गाँवों के समूह सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा परियोजना व परियोजना की सहयोगी संस्था ए॰टी॰ इण्डिया में स्टाफ सहित लगभग 200 लोगों ने प्रतिभाग किया।

कार्यशाला की शुरूआत द्वीप प्रज्वलन व प्रार्थना के साथ की गई। प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक श्री बी॰के॰ भट्ट उत्तरकाशी द्वारा जनपद के विभिन्न 5 विकासखण्डों में सम्पादित किये जा रहे कार्यों की प्रगति का विवरण प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दिया गया।

उत्पादक/निर्बल उत्पादक समूह सदस्यों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से सम्बन्धित समस्याओं के संबंध में कार्यशाला के मुख्य अतिथियों को अवगत कराते हुए विकास मूलक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु माननीय विधायक गंगोत्री विधान सभा व संसदीय सचिव को सुझाव दिया गया।

प्रतिभागियों की समस्याओं व सुझाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु सिंचाई, मनरेगा इत्यादि योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीणों को प्रदान की जा रही सरकारी सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सरकार द्वारा जनपद स्तर पर प्रदान की जा रही सेवाओं में अपेक्षित सुधार हेतु आश्वासन भी दिया गया। माननीय विधायक गंगोत्री विधान सभा तथा संसदीय सचिव उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्रतिभागियों की समस्याओं व सुझावों को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु सिंचाई, जंगली जानवरों से फसल के बचाव हेतु घेराबंदी इत्यादि पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए विभागीय योजनाओं के पारदर्शिता का साथ क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये । साथ ही माननीय विधायक ने रेखीय विभागों में परस्पर समन्वयन तथा नियमित अनुश्रवण एवं समस्त खंड स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों का बी॰डी॰सी॰ बैठक में प्रतिभाग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। कार्यशाला के अंत में परियोजना के अन्तर्गत 45 उत्पादक/निर्बल उत्पादक समूहों के सदस्यों को विभिन्न आजीविका संवर्धन गतिविधियों हेतु ₹14,54,400/- के चैक प्रदान किये गये।

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई
जनपद उत्तरकाशी

समूहों ने संयुक्त रुप से बीज क्रय प्रारम्भ किया

चकराता (देहरादून)

हाजा दसऊ गाँव विकासखण्ड चकराता, देहरादून में 90 परिवार निवास करते हैं। सभी परिवार पारम्परिक फसलों के साथ नगदी फसलों का उत्पादन भी करते हैं। हाजा दसऊ में परियोजना द्वारा सहयोगी संस्था हार्क के मध्यम से माह मार्च 2015 में महासू देवता उत्पादक समूह का गठन किया गया। महासू देवता उत्पादक समूह में कुल 20 पुरूष सदस्य हैं। समूह के सभी सदस्य नगदी फसलों में मटर, अदरक आदि का उत्पादन करते हैं। परियोजना के सहयोग से वर्तमान में समूह द्वारा मटर का उत्पादन किया जा रहा है। समूह के सदस्य श्री सुन्दर राम नौटियाल ने बताया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष, दो बार मटर की खेती करते हैं। परियोजना द्वारा दी गई सहयोग राशि ₹3,600/- तथा ₹400/- अंशदान प्रति सदस्य, के हिसाब से समूह के पास कुल ₹ 80,000/- जमा हुए हैं।

समूह सदस्यों की माँग के अनुरूप मटर की खेती हेतु उन्नत किस्म के कुल 350 किग्रा॰ बीज ₹70,000/- का विकासनगर मण्डी से क्रय किया गया तथा शेष ₹10,000/- समूह के खाते में वापस जमा कर दिये गये। श्री नौटियाल द्वारा बताया गया कि

पहले हम बीज व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग मण्डी से बीज क्रय करते थे, जिससे बीज महंगा पड़ता था तथा बाजार से खेत तक लाने में भाड़ा भी व्यक्तिगत ही पड़ता था। अब समूह के सदस्यों ने एक साथ मिल कर बीज क्रय किया तो बीज सस्ता मिला तथा ढुलान भाड़ा भी कम लगा। जिस प्रकार समूह द्वारा साथ मिलकर बीज क्रय किया गया, उसी प्रकार हम पैदावार होने पर एक साथ ही उत्पाद को बाजार में बेचेंगे, जिससे ढुलान भाड़ा भी कम पडेगा व सदस्यों का उत्पाद समान दर पर बाजार में बिक सकेगा और मुनाफा भी अधिक होगा। परियोजना द्वारा बनाये गये समूहों से किसानों को एक साथ मिलकर कार्य करने की भी प्रेरणा मिली है।

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई

जनपद देहरादून

सफलता

वर्मी खाद उत्पादन से आजीविका वृद्धि

देवाल, (चमोली)

वेदनी स्वायत्त सहकारिता देवाल, चमोली के अंतर्गत ग्राम पूर्णा के शैलपुत्री स्वयं सहायता समूह व कार्तिकेय स्वयं सहायता समूह द्वारा वर्मी खाद उत्पादन गतिविधि संचालित की जा रही है। वेदनी स्वायत्त सहकारिता चमोली जिले के विकासखण्ड देवाल की 8 ग्राम पंचायतों में कार्य कर रही है। इस सहकारिता से 296 शेयरधारक जुड़े हैं। वर्मी खाद का उत्पादन व विपणन सहकारिता के प्रमुख कार्यों में से एक है। इसके माध्यम से जुड़े सदस्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

वर्ष 2007 में, पूर्व आजीविका परियोजना (ULIPH) द्वारा समूहों को वर्मी खाद तैयार करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग दिया गया था। दोनों समूहों के सदस्यों द्वारा वर्मी खाद की बिक्री स्थानीय कृषकों के अतिरिक्त कृषि विभाग उद्यान विभाग व अन्य सस्थाओं को भी की जा रही है। माह अप्रैल-मई जून 2015 में दोनों स्वयं सहायता समूहों द्वारा वेदनी स्वायत्त सहकारिता के माध्यम से 284 किग्रा॰ वर्मी खाद, ₹200 प्रति किग्रा॰ की दर से उत्तराखण्ड जैविक संतृप्तीकरण परियोजना देवाल, चमोली को आपूर्ति की गई। इससे समूहों को कुल ₹ 56,800/- की आय प्राप्त हुई। विपणन के इस कार्य से कार्तिकेय एवं शैलपुत्री स्वयं सहायता समूह तथा वेदनी स्वायत्त सहकारिता के सदस्य बहुत उत्साहित हैं।

वेदनी स्वायत्त सहकारिता को विपणन के इस कार्य के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि विकासखण्ड देवाल को जैविक विकासखण्ड घोषित किया गया है। इस विकासखण्ड में किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, जिससे वर्मी खाद की माँग की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। इसके लिये सहकारिता वर्मीखाद के उत्पादन हेतु प्रचार एवं प्रसार का कार्य समूह सदस्यों के साथ मिलकर कर रही है। प्रयास यह है सहकारिता के अन्तर्गत आने वाले अन्य समूह भी जैविक खाद उत्पाद की गतिविधि से जुड़े व अपनी आजीविक में कुछ वृद्धि कर सकें।

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, UGVS

जनपद चमोली

परियोजना समाचार

परियोजना समिति – जलागम प्रबन्ध निदेशालय

टैंक बना जीवन का आधार

धारी, नैनीताल

ग्राम पंचायत बुढ़ीवना नैनीताल जनपद के विकासखण्ड धारी में है। 143 परिवारों के इस गाँव की भूमि बेहद उपजाऊ होने के कारण सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। सिंचाई की सुविधा न होने के कारण सब्जियों की फसल पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अधिकारियों व सहयोगी संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ हुई ग्रामीणों की प्रथम बैठक में सामूहिक सिंचाई टैंक का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित टैंक के बारे में परियोजना अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी। ग्रामीणों को बताया गया कि सामूहिक टैंक की लम्बाई 4मी॰, चौड़ाई 2.5मी॰ और गहराई 1.5 मी॰ तथा पानी की क्षमता 14,000 से 15,000 लीटर होगी। इस टैंक से लगभग 55 से 60 नाली भूमि सिंचित होगी। प्रस्तावित टैंक से 5 परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों के सदस्यों को संगठित करके, शक्ति उत्पादक समूह के रूप में गठन किया गया। सदस्यों की सर्व सहमति से श्री नारायण सिंह को अध्यक्ष पद हेतु चयनित किया गया।

परियोजना के मानकों के आधार पर सामूहिक सिंचाई टैंक श्री नारायण सिंह के खेत में बनाया गया है जिसकी प्रस्तावित लागत ₹76,805 है जिसमें 15 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान भी शामिल है। समूह में शामिल परिवार टैंक से हो रही सिंचाई के माध्यम से सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। लाभार्थियों द्वारा बताया गया कि उनकी पिछली पैदावार प्रति सदस्य लगभग 12 कुन्टल थी। वर्तमान में सामूहिक सिंचाई टैंक द्वारा भूमि सिंचित होने के कारण पैदावार में, प्रति सदस्य लगभग 24 कुन्टल की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में सिंचित भूमि में आलू, गोभी, मटर, शिमला मिर्च, टमाटर, राजमा आदि की खेती की जा रही है। समस्त लाभार्थियों की अच्छी पैदावार होने के कारण इनकी आजीविका में वृद्धि हुई है। ग्रामवासियों ने परियोजना व परियोजना अधिकारियों की सराहना करते हुये परियोजना का आभार व्यक्त किया है।

प्रभाग नैनीताल

ILSP-WMD

महिलाएं बनी जागरूक

धारी, नैनीताल

परियोजना की रामगढ़ यूनिट जनपद मुख्यालय से 75 किमी॰ की दूरी पर है। इस यूनिट में 27 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 47 राजस्व ग्राम हैं। यह पूरा क्षेत्र अति दुर्गम है। मुख्य मार्ग पर होते हुए भी ग्राम पंचायतें काफी ऊँचाई पर हैं। इस क्षेत्र में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना वर्ष 2014 में प्रारम्भ हुई। शुरूआत में ग्रामवासी विशेष रूप से महिलाएं, बैठकों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे।

प्रारम्भ में पी.आर.ए. बैठक के दौरान महिलाओं का सहयोग बहुत कम था। इसके बाद लगातार काफी बैठकें की गयीं। बैठकों के माध्यम से समुदाय को परियोजना की जानकारी दी जाने लगी। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे जाते थे- जैसे पैसा कहाँ से आयेगा? किस समिति में जायेगा? किस समिति से उन्हें मिलेगा? तथा इन समितियों में कौन-कौन लोग होते हैं आदि? समुदाय द्वारा पूछे गये सभी प्रश्नों का परियोजना अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर दिया जाता। इस प्रकार की चर्चाओं से विभिन्न बिन्दु स्पष्ट होने लगे तो धीरे-धीरे सदस्यों की भागीदारी बढ़ने लगी, परन्तु महिलाओं की संख्या फिर भी कम थी। अतः महिलाओं से निरन्तर खेतों में या घास काटते समय सम्पर्क कर उन्हें परियोजना के बारे में जानकारी दी गयी। उन्हें परियोजना के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। फील्ड कार्यकर्ताओं के इन प्रयासों के चलते अब महिलाएं बैठकों में आकर चर्चाओं में प्रतिभाग करने लगी हैं।

परियोजना द्वारा आयोजित आम सभा में जो महिलाएं पहले पुरूषों के सामने बोलने में झिझकती थी, वह अब खुल कर अपने प्रस्ताव देने लगी हैं। महिलाओं को निर्बल वर्ग की जानकारी दी गयी तथा समूह गठन के बारे में बताया गया। महिलाओं का मानना था कि समूह गठित कर वे कुछ बचत भी कर पायेंगी। इस प्रकार परियोजना ने अपने शुरुआती चरण में ही क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक किया व उन्हें अपने गाँव व क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने हेतु प्रेरित किया।

सुगमकर्ता: किरन नेगी व गीता मटियाली

यूनिट -तल्ला रामगढ़

प्रभाग नैनीताल, ILSP-WMD

संगठन से स्वावलम्बन की ओर

सफल प्रयोग

पाबौ, पौड़ी

ग्राम पंचायत उल्ली सूक्ष्म जलागम क्षेत्र बिड़ोलीगाड, विकासखण्ड पाबो, जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, पौड़ी प्रभाग द्वारा अक्टूबर 2014 से ग्राम पंचायत उल्ली में परियोजना की गतिविधियाँ प्रारम्भ की गई, खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत उल्ली के राजस्व ग्राम उल्ली में 11 तथा ग्राम थान में 3 उत्पादक समूहों का गठन किया गया। इन 14 उत्पादक समूहों से कुल 133 सदस्य कृषक जुड़े हैं।

ग्राम उल्ली से 02 किमी. ऊपर गोरख्या चौरी नामक तोक में 30 नाली (0.6 है.) बंजर भूमि का चक है। गाँव में गठित चेतना उत्पादक समूह द्वारा परियोजना की सहायता से इस बंजर भूमि को व्यावसायिक सब्जी उत्पादन हेतु तैयार करने का निर्णय लिया गया। चेतना उत्पादक समूह में कुल 09 सदस्य कृषक हैं।

परियोजना द्वारा गोरख्या चौरी तोक का निरीक्षण कर वहाँ मौजूद सम्भावनाओं की पहचान की गई। सर्वप्रथम सिंचाई की व्यवस्था हेतु 3 लो डेन्स्टी पॉली इथाईलीन टैंक (एल०डी०पी०ई० टैंक) निर्मित किये गये। इन टैंकों के माध्यम से लगभग 30 नाली (0.6

है0) भूमि में सिंचाई संभव हो सकी। इन टैंकों के निर्माण पर लगभग ₹48,000/– की लागत आयी। टैंकों हेतु पानी 800 मी० दूर स्थित एक प्राकृतिक स्त्रोत से एच०डी०पी०ई० पाईपों के माध्यम से लाया गया।

चेतना उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त उपलब्ध भूमि पर सभी सदस्य सामूहिक रुप से खेती करेंगे। समूह के सदस्यों द्वारा कृषि निवेशों की माँग परियोजना को प्रेषित की गई। परियोजना द्वारा उत्पादक समूहों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

परियोजना से विभिन्न कृषि निवेश प्राप्त कर चेतना उत्पादक समूह द्वारा निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक फसलों की खेती मार्च 2015 से प्रारम्भ की गई व प्राप्त फसल का विपणन माह अगस्त 2015 में किया गया। उक्त पूर्व की बंजर भूमि से निम्न मात्रा में विभिन्न सब्जियों की फसल प्राप्त कर विपणन किया गया:–

क्र. सं.	फसल का नाम	क्षेत्र फल	प्राप्त उत्पादन	उपभोग की मात्रा	बिक्री की मात्रा	आय ₹ में
1	फ्रासबीन	1 नाली	152किग्रा.	64किग्रा.	88किग्रा.	1760/–
2	खीरा	0.5नाली	168किग्रा.	65किग्रा.	103किग्रा.	2060/–
3	टमाटर	1 नाली	455किग्रा.	175किग्रा.	280किग्रा.	6160/–
4	बंदगोभी	0.5नाली	125किग्रा.	42 किग्रा.	83 किग्रा.	1245/–
5	बैंगन	1 नाली	193किग्रा.	95किग्रा.	98किग्रा.	1470/–
6	शिमला मिर्च	1 नाली	131किग्रा.	35 किग्रा.	96किग्रा.	2880/–
7	छप्पन कद्दू	1 नाली	465किग्रा.	210किग्रा.	255किग्रा.	5100/–
8	मूली	1 नाली	300किग्रा.	300किग्रा.		

चेतना उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक खेती प्रारम्भ की गयी है, जिसमें उन्हें उचित मात्रा में आय प्राप्त हुई और साथ ही प्राप्त हुए हैं भविष्य में व्यावसायिक रुप से सब्जियों का

उत्पादन व विक्रय करने हेतु अनुभव। इस प्रयास से न सिर्फ एक बंजर पड़ी भूमि से उत्पादन प्राप्त किया गया बल्कि गाँव की अन्य भूमियों के उपयोग के प्रति भी नई उम्मीद का सृजन हुआ है।

रबी की फसल के लिये चेतना समूह द्वारा निम्न योजना निर्मित की गई है, जिसके सापेक्ष समूह को परियोजना के माध्यम से कृषि निवेश उपलब्ध कराया जा चुका है :-

क्र.सं.	फसल का नाम	क्षेत्रफल
1	सब्जी मटर	4 नाली
2	पत्ता गोभी	5 नाली
3	फूल गोभी	2 नाली
4	धनिया	2 नाली
5	लहसुन	6 नाली
6	प्याज	2 नाली
7	मूली, गाजर, पालक	2 नाली

चेतना उत्पादक समूह द्वारा इस वर्ष प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग कर उत्पादन किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि सब्जियों की खेती में खरपतवार नियंत्रण में रहे व श्रम की बचत हो सके। चेतना समूह द्वारा किये गये प्रयासों से अन्य उत्पादक समूहों को प्रदर्शित किये जाने हेतु उत्पादक समूहों का अध्ययन भ्रमण आयोजित किया गया, समूह के द्वारा किये गये प्रयास को देखकर अन्य उत्पादक समूह भी इसी तरह से खेती करने को लेकर उत्साहित हैं। आशा है कि भविष्य में चेतना समूह क्षेत्र के अन्य कृषकों के लिये मार्गदर्शन एवं आदर्श स्थापित करने का कार्य करेगा तथा विभिन्न कृषकों को स्वावलम्बन की ओर प्रेरित करेगा।

सूक्ष्म जलागम–बिडोलीगाड,
प्रभाग पौड़ी, ILSP-WMD

सहभागी जलागम विकास घटक–2 के अन्तर्गत परियोजना का क्रियान्वयन

ग्राम स्तर पर निर्मित संस्थायें

जल एवं जलागम प्रबंधन समिति

- ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत समिति का गठन करना।
- जलागम विकास योजना की नियोजन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का नेतृत्व करना।
- निर्बल वर्ग कोष का प्रबन्धन ।
- ग्रामीण समुदाय की जागृति के लिये स्वयं सेवी संस्था की सहायता करना ।
- जलागम प्रबंध निदेशालय को समय-समय पर मासिक तथा वार्षिक रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
- निर्धारित समय पर ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों का लेखा-परीक्षण सुनिश्चित कर जलागम प्रबंध निदेशालय को प्रस्तुत करना।

राजस्व ग्राम समिति

- ग्राम स्तर पर जलागम विकास कार्यों व आजीविका संवर्धन कार्यों का प्रस्ताव तैयार करना।
- जलागम विकास योजना व आजीविका संवर्धन कार्यों का ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन का नेतृत्व करना।
- समुदाय के प्रत्येक सदस्य व प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- लाभार्थी अंशदान का संग्रहण करना।

परियोजना के महत्वपूर्ण सहयोगी

समुदाय : परियोजना का क्रियान्वयन समुदाय की पूर्ण सहभागिता से होगा। परियोजना द्वारा निर्मित विभिन्न ढांचागत व आजीविका संवर्धन इकाईयों का स्वामित्व समुदाय का ही होगा।

ग्राम पंचायत : ग्राम स्तर पर परियोजना का नियोजन व क्रियान्वयन ग्राम पंचायत करेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत, जल एवं जलागम प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करेंगे।

स्वयं सेवी संस्थायें : स्वयं सेवी संस्था, ग्राम समुदाय को क्रियान्वयन के प्रति सजग व जागरूक करेगी तथा जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति को परियोजना के नियोजन व क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी।

जलागम प्रबन्ध निदेशालय : ग्राम समुदाय व ग्राम पंचायत के सहयोग से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण समन्वय व तकनीकी मार्गदर्शन, फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण व मार्गदर्शन, बहुउद्देशीय दल व स्वयं सेवी संस्था के बीच समन्वयन, परियोजना का मूल्यांकन व अनुश्रवण तथा रेखीय विभागों के साथ समन्वयन आदि।

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की जैंडर रणनीति

ऐसी अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विकासपरक परियोजना/नीति से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ पहुँचना चाहिये। समाज की विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सदैव ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है अत: किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी पहल में जैंडर पक्ष (समाज के दोनों ही लिंग महिला व पुरूष की समान भागीदारी) को मुख्यधारा में लाना स्वत: ही सम्मिलित होना चाहिये, चाहे यह दिशा-निर्देशों में सम्मिलित किया गया हो या नहीं। IFAD के दिशा-निर्देशों तथा राज्य और केंद्र सरकार की नीति के निर्देशानुसार लिंग समानता को परियोजना में विशेष एवं व्यवस्थित रूप से संबोधित किया जाना आवश्यक है। किसी भी कार्यक्रम/परियोजना के विषयाधारित कार्य बिन्दुओं एवं सम्बद्ध सूचकों के आधार पर तैयार जैंडर कार्ययोजना (GAP), जैंडर समानता का आकलन करने की सबसे सहज एवं सुलभ विधि है। परियोजना की जैंडर कार्ययोजना, मूल रूप से जैंडर आधारित आवश्यकताओं/वरीयताओं का आकलन करने एवं क्रियान्वयन को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का एक महत्वपूर्ण टूल है।

विकासपरक प्रक्रियाओं एवं परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि समाज में वर्णित सभी लिंगों के व्यक्ति विशेष (महिला, पुरूष एवं ट्रांसजेंडर) एक-दूसरे की मूल भावनाओं और विचारों का सम्मान करें तथा विकास प्रक्रिया में समान योगदान दें।

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की जैंडर रणनीति (Gender Strategy)

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में, परियोजना की विशेष जैंडर रणनीति तैयार किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे जैंडर

संबंधी विषयों को परियोजना की मुख्यधारा से सम्बद्ध किया जा सके। ILSP एक जैंडर संवेदी परियोजना है जो परियोजना की गतिविधियों में महिलाओं की विशेष भागीदारी, उनके नेतृत्व विकास एवं सशक्तीकरण पर विशेष बल देती है। साथ ही यह महिला अनुकूल गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देती है जिससे समाज के लिंगभेद को कम किया जा सके। यह रणनीति लिंगभेद कम करने संबंधी अधिकांश पहलुओं को सम्मिलित करती है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि परियोजना के समस्त स्तरों पर क्रॉसकटिंग दृष्टिकोण के साथ, संस्थागत विकास/स्टाफ की नियुक्ति में, उनके क्षमतावर्द्धन और सूचना, शिक्षण एवं सम्प्रेषण (IEC) गतिविधियों में, कृषि और गैरकृषि गतिविधियों में महिलाओं एवं पुरूषों की समान भागीदारी हो। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को मुख्य भूमिका में लाने से उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर में वृद्धि हो तथा व्यावसायिक (समूह या फैडरेशन) तथा व्यक्तिगत (पारिवारिक) स्तर पर उनकी निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी इत्यादि।

1. संस्थागत स्तर पर प्रतिभागिता (सदस्य और कर्मियों संबंधी)

पूर्व के दशकों में महिलाओं की न्यून भागीदारी के दृष्टिगत, वर्तमान परिवेश में उनकी भागीदारी समस्त स्तर पर अधिकाधिक बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे कि लिंग भेद को कम किया जा सके। अत: परियोजनान्तर्गत गठित समस्त संस्थाओं के स्तरों पर लिंग समानता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि सहकारिताओं के निदेशक मंडल के पदाधिकारियों, उत्पादक और असहाय उत्पादक समूहों तथा आजीविका संगठन में महिला सदस्यों, तकनीकी संस्था तथा परियोजना इकाई में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाय तथा उनकी सार्थक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

2. परियोजना की गतिविधियों में प्रतिभागिता

सभी प्रकार के विकास कार्यों में महिलाओं तथा पुरूषों के प्रतिभाग को बढ़ाया जाना चाहिये तथा प्रत्येक संवर्ग या गतिविधि में इसका आकलन भी किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये उत्पादक तथा असहाय उत्पादक समूहों की गतिविधियों में, आजीविका संगठनों में शेयर होल्डरों के रूप में और व्यावसायिक विकास नियोजन में, उत्पादन में, एकत्रीकरण, बाजार तक पहुँच और व्यावसायिक विकास (लाभ और हानि) की गतिविधियों में महिलाओं और पुरूषों की बराबर की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाय। क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमों में/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उनका प्रतिभाग समान रूप से होना चाहिये। परियोजना टीम का दायित्व है कि सदस्यों की कम प्रतिभागिता के कारणों का विश्लेषण कर, व्यक्तिगत रूप से चर्चा के माध्यम से, जानकारियों के प्रचार-प्रसार से, जागरूकता उत्पन्न करके तथा पारिवारिक स्तर पर संवेदीकरण करके इसका निराकरण करने का हर सम्भव प्रयास करें तथा उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।

3. कार्यश्रम में प्रतिभागिता

उत्तराखंड में अधिकांश कृषि कार्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा ही किये जाते हैं परिणामस्वरूप उत्तराखंड में, महिलाओं की ग्रामीण श्रमिक संख्या, समस्त भारत की औसत श्रमिक संख्या से काफी अधिक है। इसमें दिलचस्प तथ्य यह है कि दूसरे के खेतों में कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा वे स्वयं के पारिवारिक कृषि कार्य में संलग्न हैं। इस प्रकार से गैर कृषि कार्यों में उत्तराखंड में महिलाओं के रोजगार की संख्या काफी कम है। परियोजना द्वारा, महिलाओं को पारिवारिक श्रमिक की अपेक्षा स्वयं के या श्रमिक कार्यकर्ता के रूप में, उनकी कार्यस्थिति में परिवर्तन करके प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। परियोजना क्षेत्र की महिलाओं को गैरकृषि क्षेत्र के उद्यमों और गैर कृषि कार्यों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक आरक्षित रखी जाय। परियोजना क्षेत्र में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे- टेक होम राशन (आई॰सी॰डी॰एस॰) एवं मध्याह्न भोजन इत्यादि से जोड़ने का प्रवास किया जाय जिससे कम समय में खाली समय का सदुपयोग करके अधिक संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों।

4. महिलाओं की स्वायत्तता/सशक्तीकरण को प्रोत्साहन देना

परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के बैंक में (एकल उपयोग या हैंडलिंग) खाते खोले जाय तथा उनकी वित्तीय सक्षमता तक पहुँच बढ़ाने में सहयोग करे। उनको हस्ताक्षर करना सिखाया जाय तथा उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करने हेतु उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाय। परियोजना में कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाय। परियोजना के तहत महिला नेतृत्व विकास के लिए विशेष तौर पर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रयास किया जाय जिससे परियोजना क्षेत्र की महिलाओं का विभिन्न सम्मानों एवं पुरूस्कारों हेतु चयन हो व अधिक से अधिक संख्या में 'महिला चैम्पियन' तैयार हों। समस्त प्रयासों के चलते परिवार तथा समाज में सामूहिक रूप से महिलाओं की स्वायत्तता में वृद्धि होगी।

5. सामाजिक विषयों/निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी

महिलाओं के अत्यधिक कार्यबोझ के कारण प्रदेश में उनकी सामाजिक विषयों तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नगण्य है। परियोजना द्वारा दिये जा रहे सहयोग एवं अभिसरण के माध्यम से महिलाओं के श्रमभार न्यूनीकरण की सभी तकनीकों को प्रोत्साहन दे तथा श्रमभार न्यूनीकरण के लिये हर सम्भव प्रयास किया जाय जिसके फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक विषयों तथा साझा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही संवेदीकरण कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण करने का प्रयास किया जायेगा जिससे उनके सुझावों व निर्णयों में स्थिरता आये। परियोजना द्वारा महिलाओं की भागीदारी को परिवार व सहकारिता के आर्थिक व वित्तीय निर्णयों में

शेष पृष्ठ 23 पर.....

बीज संरक्षण की पारम्परिक विधियाँ

परम्परागत ज्ञान

पारम्परिक खेती में बीज संरक्षण के कई तरीके हैं, जिनका प्रयोग जनपद उत्तराखंड के गाँवों में किसान महिलायें करती आ रही हैं तथा अपने बीजों को बचा रही हैं। उनमें से कुछ के संकलन का प्रयास किया गया है ताकि यह ज्ञान अन्य क्षेत्रों में भी पहुँच सके तथा लोग इसे अपना कर अपने बीजों का संरक्षण कर सकें।

निम्नलिखित उपायों से बीजों को संरक्षित किया जा सकता है-

- **सरसों का तेल :** सभी प्रकार की दालों में सरसों का तेल लगाकर दाल को सुरक्षित रखा जाता है।
- **लाल मिर्च :** चावल के भंडार पात्र में 10 से 15 लाल मिर्च डालने से चावल खराब होने से बच जाते हैं।
- **सेंधा/लाहौरी नमक:** अनाज व दालों को कीड़ों व टेरू से बचाने के लिए भंडार गृह में एक मुट्ठी सेंधा नमक डाल देने से इन पर कीड़ों का प्रकोप नही होता है।

- **राख :** सभी तरह की दालों तथा गेंहू में राख मिलाकर बीजों को सुरक्षित रखा जाता है।
- **टेमरू :** किसी भी तरह के अनाज के संरक्षण के लिए टेमरू की पत्तियों को प्रयोग किया जाता है। इन पत्तों की खुशबू से चूहे दूर भागते हैं तथा कीट मर जाते हैं।
- **तुलसी के पत्ते :** दालों को थैलों में रखने से पहले खूब सुखा कर उसमें तुलसी के पत्ते मिला देते हैं जिससे दालों में कीड़े नहीं पड़ते हैं।
- **लाल मिट्टी :** लाल मिट्टी का पाउडर बनाकर गेंहू के बीज में मिलाया जाता है। किसी भी बर्तन में बीज भरने के बाद ऊपर से ढेर सारी मिट्टी रखकर बर्तन का मुँह बन्द कर दिया जाता है।
- **नीम की पत्ती:** किसी भी अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है।
- **घेल्डा :** (लकड़ी की ऊँची टोकरी) घेल्डे को गोबर और लाल मिट्टी का लेप लगाकर उसके छेद बन्द कर देते हैं। सूखने के बाद इसे कीटाणु रहित करने के लिए गौमूत्र व दीवारों पर जमे हुए धुएं की राख से अन्दर-बाहर लीपते हैं। धान के बीज में टेमरू, अखरोट व डैंकण की पत्तियां मिलाकर इसमें रख देते हैं और ढक्कन बन्द कर उसे गोबर व गौमूत्र से लीपकर बन्द कर देते हैं। इसे बुवाई के समय ही खोला जाता है।
- **गोबर का घोल :** करेला, टिंडा, लौकी, खीरा, ककड़ी आदि के बीजों को गोबर के घोल में मिला कर सुखा देते हैं। इससे यह संरक्षित हो जाते हैं तथा बीजों में कीट आदि का प्रकोप नहीं होता है।
- **भकार :** यह लकड़ी का बड़ा बक्सा होता है । इसमें अनाज को अच्छी प्रकार से धूप में सुखा कर राख मिला कर रख देते हैं जिससे अनाज में कीड़ा नहीं लगता है और वह सुरक्षित रहता है।
- **खलड़े (बकरे की खाल से बने थैले) :** बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए सुखा कर अखरोट के बड़े-बड़े पत्ते और राख में मिला कर खलड़ो में रख देते हैं। उड़द की दाल में कुछ नहीं मिलाते हैं। कुलथ और मसूर की दाल को तेल या गाय के मूत्र में मसल कर रख देते हैं, जिससे दाल में कीड़े नहीं लगते हैं।
- **लकड़ी के कुठार :** इसमें बीज सुरक्षित रखा जाता है। सबसे पहले गोबर, लाल मिट्टी व गौमूत्र से कुठार को लीपकर सुखाते हैं और फिर इसे कीटाणु रहित किया जाता है। इसके उपरान्त बीज भर दिये जाते हैं तथा अखरोट के पत्तों से ढक कर कुठार को बन्द कर दिया जाता है। यदि फड़ी लग भी जाये तो पानी से भरी परात कोठार के अन्दर रख दें, जिसमें फड़ी गिरकर मर जाती है।

- **मालू के पत्ते की टोकरी :** मालू के हरे पत्ते की टोकरी बनाते हैं। सूखने पर इसमें बीज रखकर, मालू की रस्सियों से कस कर बांध दिया जाता है। इस टोकरी को घर में गर्मी तथा धुयें वाले स्थान पर रखा जाता है।
- **तोमड़ा :** (लौकी का सूखा खोल) लौकी को धूप में सुखाकर, उसका गूदा निकाल कर खोखला कर दिया जाता है। अच्छी तरह सूखने के पश्चात इसमें बीज रखकर उसका मुँह बन्द कर दिया जाता है।
- **टाँगना :** मक्का के बीज का संरक्षण हेतु मक्का की गुच्छी बनाकर रस्सी के सहारे घर में ऐसी जगह टाँग दी जाती है, जहाँ धूप, हवा, आदि लगती रहे साथ ही बारिश से बचाव हो।
- **गड्ढा :** अदरक, अरबी व हल्दी के संरक्षण हेतु खेत के एक कोने में गड्ढा खोदकर बीज रखकर उसे घास-फूस और मिट्टी से ढक दिया जाता है। झंगोरे के बीच में भी इन बीजों को सुरक्षित रखा जाता है।
- **धुआं :** धुआं बीज सरंक्षण में महत्वपूर्ण होता है। धुएं वाली जगह ही बीज सुरक्षित रखे जाते हैं इससे बीजों में नमी बिल्कुल नही आती और बीज खराब होने का डर नही रहता।

खेती से जुड़े त्यौहार एवं मेले

पहाड़ में खेती से जुड़ी परम्पराओं में त्यौहार व मेलों की एक खास जगह है। खेती के अलग-अलग अवसरों जैसे बुवाई, रोपाई, कटाई आदि से जुड़े कई त्यौहार व मेले हैं, जिनका एक ओर वैज्ञानिक आधार है तो दूसरी ओर यह परम्परायें घर गाँवों को सामूहिकता के सूत्र से भी जोड़ती है। हमारी संस्कृति से जुड़े कुछ त्यौहारों/थौलू का हमने संकलन किया है:

पंचमी : यह त्यौहार माघ के महीने में मनाया जाता है। इस दिन गांव के औजी (ढोल बजाने वाले) घर-घर में जौ की हरियाली बांटते हैं। इन जौ के पौधों को घर की औरतें गाय के गोबर से दरवाजे की चौखट पर चिपकाती है, जो शुभ माना जाता है। कोठार से सात प्रकार के बीज निकालकर खेती के सभी औजारों सहित ओडे (एक-दूसरे परिवार की खेती की सीमा) पर गोबर का गणेश बनाकर व धूप जलाकर पूजा की जाती है। सारे हथियारों पर नाले का धागा बांधकर कुदाल से हल लगाकर सात प्रकार के बीज बोये जाते हैं। इसी दिन से खेती की जुताई-बुवाई की शुरूआत होती है और धरती के हरी-भरी होने तथा घरों की खुशहाली की कामना की जाती है।

शिवरात्रि : फाल्गुन के महीने मे इस त्यौहार के दिन पुराने कद्दू को काटकर उसके बीज निकालकर बोये जाते हैं। इस दिन से बेल वाली सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, करेला, चिचिंडा, ककड़ी आदि को बोने की शुरूआत की जाती है।

फुल्यारी : चैत का महीना शुरू होते ही फुल्यारी त्यौहार की शुरूआत होती है। खेतों की मेढ़ों पर रंग-बिरंगे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। घर-घर के बच्चे सुबह उठकर तरह-तरह के ताजे फूल निकालकर लाते हैं तथा घर की देहरी व खिड़कियों को फूलों से सजाते हैं। बचे हुए फूलों की सब्जिया बनाकर रंग-बिरंगे फूलों का स्वाद लिया जाता है। ये अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। इस माह से प्रकृति हरी-भरी होने लगती है। पेड़ फलों से झुकने लगते हैं। यह खेती की समृद्धि व खुशहाली का प्रतीक त्यौहार है।

अयांरकुटटू : चैत के माह में फूल डालते-डालते बच्चों को आधा महीना होने पर फूलों के साथ पेड़ों पर नये पत्तियां निकल आती है। तरह-तरह की पत्तियों को निकालकर बच्चे ओखली में कूट कर पशुओं को खिलाते हैं ताकि जिन पशुओं से हमारी फसल को खाद मिलती है, पशु इस मौसम में उगे नये चारे से बीमार न पड़ें और स्वस्थ रह सकें। मुहल्ले के लोग बच्चों को उत्साहित करने के लिए खिचड़ी खाते हैं। यह पर्व एक वैज्ञानिक मान्यता पर आधारित है। कई वृक्षों की नई पत्तियों में जहरीला पदार्थ साइनाईड होता है। इसीलिए नई पत्तियों को खिलाना वर्जित माना जाता है। इस पर्व तक पत्तियां पक जाती है तथा जहर से मुक्त हो जाती है। अतः परम्परा के अनुसार इस पर्व के बाद ही नई पत्तियों का चारा पशुओं को दिया जाता है।

बिखोत : चैत का महीना समाप्त होने तथा बैशाख का महीना शुरू होने पर फुल्यारी त्यौहार समाप्त हो जाता है। चावल के आटे के पकवान बनाये जाते हैं। फूल डालने वाले बच्चों को फुलकंडी (फूल लाने वाली टोकरी) भर कर पकवान देते हैं। यह महीना मेलों का महीना माना जाता है। रबी की फसल की कटाई शुरू हो जाने पर मायके गयी बहुएं वापस ससुराल में आ जाती हैं। इन मेलों में वे अपनी सहेलियों से मिलकर अपनी याद मिटाती हैं।

घ्वैल्डा : यह त्यौहार बैशाख के महीने के आखरी तथा ज्येष्ठ महीने के पहले दिन मनाया जाता है। नये अनाज-गेंहू के पकवान बनाकर कोठार (जिसमें अनाज रखते हैं) की पूजा करते हैं। इस दिन से बारहनाजा (कोदा, झंगोरा, कौणी, चौलाई, भंगजीर, गहथ, भट्ट, रयांस, उड़द, धान, तिल, लोबिया, आदि) की निराई-गुड़ाई शुरू होती है। खेती का काम तेजी से शुरू हो जाता है इसलिए बहुएं मायके नहीं आ पाती हैं। कहा जाता है घ्वैल्डा त्यौहारों का द्वार बंद करता है अर्थात इसके बाद त्यौहार बंद हो जाते हैं।

लुंगा : रोपाई के लिए एक शुभ दिन तय किया जाता है। इस दिन से खेतों में धान की रोपाई की शुरूआत सबसे पहले गाँव के ईष्ट देवता के खेत में की जाती है। फिर बारी-बारी से सारे खेतों की रोपाई औजी (ढोल बजाने वाला) के ढोलों की थाप व गीतों के साथ व्यवस्थित एवं शांतिपूर्वक ढंग से हर्षोल्लास के साथ करते हैं।

राखी : श्रावण के महीने में राखी के त्यौहार तक खेती का काम कुछ हल्का हो जाता है। बहनें ससुराल से मायके आकर राखी का त्यौहार मनाती हैं। आज से त्यौहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि राखी त्यौहारों का द्वार खोलती है।

कौंली : असोज के महीने में धान की फसल पकने पर बहुएं नये कपड़े पहन कर, खेतों में धान की पूजा करती हैं। इस त्यौहार के लिए विशेषतया आटे का बना पकवान रोट बांटा जाता है। इसके बाद धान काटने की शुरूआत हो जाती है।

बल्दराज : दीपावली के पर्व के दूसरे दिन नमकीन तथा मीठे पकवान बनाकर बैलों पर पिठाई लगाकर बैलों को खिलाते हैं और बैलों की पूजा करके उनको आराम कराया जाता है। हमारे खेतों में हल जोतने का श्रेय बैलों को दिया जाता है और उनकी पूजा कर आभार प्रदर्शित किया जाता है।

घेंजा : पौष के महीने की 28 गते को कूटे हुए झंगोरे के आटे से मीठे-नमकीन पकवान बनाये जाते हैं। जिनके घर में झंगोरे का आटा नहीं होता, उनको पड़ोसी या रिश्तेदार देते हैं, ताकि लोगों में झंगोरा उगाने की परम्परा बनी रहे। झंगोरा पौष्टिक एवं निरोग खाद्य पदार्थ है। यह पारम्परिक अनाज की महत्ता का त्यौहार है।

साभार : यह जानकारी परियोजना के विभिन्न जनपदों में कार्य के दौरान गाँवों में महिलाओं, पुरूषों व बुजुर्गों के साथ संवाद के दौरान तथा महिला सामाख्या, पुरोला उत्तरकाशी टीम के साथ बातचीत कर के एकत्र की गयी है।

डॉ0 हीरा बल्लभ पन्त
प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक, UGVS
जनपद अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति की जैंडर रणनीति ...

पृष्ठ 20 का शेष

बढ़ावा दिया जायेगा। महिलाओं की भूमिका को सहकारिता के व्यापार बढ़ाने, विपणन को प्रोत्साहित करने तथा लाभ-हानि की गणना करने में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा जिससे समाज में उनकी स्वायत्तता का सुदृढ़ीकरण हो।

6. महिलाओं का श्रमभार न्यूनीकरण

अत्यधिक कार्यबोझ के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को अपनी तथा अपने बच्चों की देखभाल के लिये बहुत ही सीमित समय मिलता है। इसके कारण उनकी सामाजिक तथा विकास कार्यों में भी संलग्नता बहुत सीमित होती है। वह अपने आस-पास की गतिविधियों तथा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में भी बहुत अधिक समय न देने के कारण सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाती। परियोजना द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में महिलाओं के कार्यभार को कम करने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु परियोजना में उपलब्ध संसाधनों तथा अन्य योजनाओं/विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से एक श्रमभार न्यूनीकरण कार्ययोजना भी तैयार की गई है। परियोजना द्वारा ग्रामीण आबादी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता के लिए जलौनी/ईंधनी लकड़ी का संग्रह करने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। ईंधनी लकड़ी के संग्रह, वृक्षों और चारा घास के बेहतर प्रबंधन एवं देख-रेख के लिये इसको परिवारवार विभाजित कर उचित व्यवस्था की जायेगी। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में परियोजना महिलानुकूल तकनीकों को अपनाने का प्रयास करेगी।

7. 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013' के अनुपालन के क्रम

में परियोजना प्रबंधन इकाई के स्तर पर एक आंतरिक समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति परियोजना में संलग्न समस्त इकाईयों जैसे - प्रभागीय परियोजना प्रबंधन इकाईयों, तकनीकी संस्थाओं तथा समुदाय स्तर पर गठित संस्थानों द्वारा सूचित किये जाने अथवा स्वयं/गुप्त रूप से संज्ञान में आने पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी विषयों एवं समस्याओं का निपटारा करेगी।

समग्र रूप से परियोजना महिलाओं के पोषण स्तर में घटक-1, खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका संवर्द्धन के अन्तर्गत किये जा रहे हस्तक्षेपों द्वारा सुधार/वृद्धि करने के लिये भी वचनबद्ध है।

कार्यक्रम प्रबन्धक
जेंडर एवं संस्थाएं, UGVS

ज्ञानवर्धन लेख

ज्ञान प्रबन्धन

ज्ञान को संकलित कर उसे उपयोगी बनाने का प्रबन्धन

पिछले दो दशकों में विश्व स्तर पर यह समझ बनी है कि ज्ञान, किसी भी संस्थान, विभाग, राज्य अथवा देश की सबसे महत्वपूर्ण पूँजी है। दीर्घकालीन एवं सतत् विकास की पहली शर्त है कि संस्थान, विभाग, राज्य अथवा देश अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग करें। यह तभी संभव है जब विभिन्न माध्यमों से अर्जित ज्ञान को संकलित करने व आवश्यकतानुसार वितरण करने का प्रभावपूर्ण प्रबंधन हो। इसी के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा ज्ञान प्रबन्धन इकाई की स्थापना की गयी है। ज्ञान को संकलित व वितरित करने की इस प्रबंधन प्रक्रिया की गति को सूचना तकनीक के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है जिससे सूचनाओं का प्रवाह प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ सकता है। ज्ञान पर आधारित तकनीकों के माध्यम से हम सतत् सीखने की प्रक्रिया, गहन अध्ययन एवं अनुसंधान और ज्ञान को साझा करने की गतिविधियों में अधिक गुणवत्ता व तेजी ला सकते हैं।

ज्ञान : विकास कार्यों से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने से पूर्व व करने के उपरान्त क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन को जानना और समझना 'ज्ञान' है।

निहित ज्ञान : निहित ज्ञान विभाग/संस्थान की अधिकारियों व कार्यकर्ताओं की विशेषज्ञताओं में निहित है, विषय विशेष से संबंधित है व इसे संकलित व संचित करना जटिल है। यह गतिविधि से सम्बन्धित व्यक्तियों के मस्तिष्क में संचित/निहित है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, कार्यशालाओं, परस्पर चर्चाओं और सतत् सम्पादन की प्रक्रिया से इस ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है।

मुखर ज्ञान : इस ज्ञान को संकलित करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम मौजूद हैं। विभिन्न आख्याओं, कार्यवृत्त, मार्गदर्शिकाओं, लेखों, पत्र, ई.मेल, वेबसाइटों आदि माध्यमों से जिन जानकारियों व सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है उनमें मौजूद ज्ञान इस श्रृखंला के अन्तर्गत आते हैं।

ज्ञान प्रबधंन : संस्थान द्वारा ज्ञान की रचना, संकलन, वृद्धि और उपयोग की प्रक्रिया 'ज्ञान प्रबधंन' है। वास्तव में 'प्रबंधन' शब्द इसमें एक भ्रम है क्योंकि 'ज्ञान' का प्रबंधन संभव नहीं है। वास्तव में ज्ञान की रचना, संकलन, उसे संचित करना, उसे सभी के उपयोग के लिए सहज बनाना, प्रमाणित करना, वितरण करना और क्रियान्वयन में उसे लागू करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रबंधन होना ज्ञान प्रबंधन है। ज्ञान का प्रबंधन नहीं बल्कि इसी पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन है।

- ज्ञान प्रबधन के विभिन्न चरण
- ज्ञान की रचना व संकलन
- ज्ञान को साझा करना व उसमें वृद्धि करना
- ज्ञान को संचित करना व उसे उपयोग हेतु सहज बनाना
- ज्ञान का वितरण
- क्रियान्वयन में उसे लागू करना

ज्ञान की रचना व संकलन

विभिन्न बैठकों, गतिविधियों, भ्रमण आदि का आख्या लेखन एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार की आख्याओं का लेखन होता ही है। संस्थान के मुखर ज्ञान के संकलन का यह एक माध्यम है। मुखर ज्ञान सिर्फ संस्थान के भीतर ही रचित नहीं होता, इसे बाह्य स्त्रोतों से भी अर्जित किया जा सकता है। अन्य संस्थानों/विभागों व राज्यों/देशों में समान प्रकार की गतिविधियों में रचित आख्याओं का संकलन व उनका अध्ययन भी ज्ञान प्रबन्धन के लिए आवश्यक है।

निहित ज्ञान की रचना व संकलन करने के लिए विभिन्न हितभागियों के साथ चर्चाओं व विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना होता है। कार्यशालायें व सेमिनार, साक्षात्कार तथा कार्यक्षेत्र का भ्रमण कर सभी हितभागियों के साथ चर्चा, अधिकारियों व विभिन्न स्तर के कार्यकताओं के साथ बैठकें आदि माध्यमों से निहित ज्ञान को रचित व संकलित किया जाता है।

ज्ञान को साझा करना व उसमें वृद्धि करना

ज्ञान को साझा करना एक बहुत लम्बी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत ज्ञान में वृद्धि होती है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास समिति के विभिन्न जनपदों में कार्यरत तकनीकी संस्थाओं, प्रभागीय कार्यालय, मुख्यालय के अधिकारियों व समुदाय के प्रतिनिधियों के मध्य आजीविका संगठन के गठन के प्रक्रिया के दौरान अर्जित ज्ञान को साझा करने हेतु चर्चा होती है। इस चर्चा से विभिन्न जनपदों में अर्जित अलग-अलग अनुभवों की चर्चा एक मंच पर होगी और सभी के ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी प्रकार परियोजना के सन्दर्भ में अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिनमें विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान अर्जित ज्ञान को संकलित किया जा सकता है

और उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं।

ज्ञान को संचित करना व उसे उपयोग हेतु सहज बनाना

विभिन्न माध्यमों से जब ज्ञान को रचित व संकलित कर लिया जाता है तो उसे विभिन्न स्तरों पर साझा कर उसमें आवश्यक सुधार व वृद्धि कर ली जाती है। इसके बाद का चरण उसे संचित करना व उसे उपयोग हेतु सहज बनाना है। इसके लिए कुछ केन्द्रीय व्यवस्थाओं के निर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है। राज्य, जनपद व ब्लॉक स्तर पर 'ज्ञान प्रसार केन्द्र' की स्थापना के प्रयास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं।

संचित ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए प्रचार-प्रसार की विभिन्न सामग्रियों का निर्माण किया जाता है। अत: परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के संचार हेतु बनाई जाने वाली रणनीति भी ज्ञान प्रबंधन की इस शाखा का अंग है। संचार हेतु बनाये गये ज्ञान प्रबंधन के विभिन्न उत्पाद जैसे, पत्रिका, पुस्तिकायें, ब्रॉशर, पोस्टर, फ्लिप चार्ट, फिल्म निर्माण, एनिमेशन फिल्म निर्माण व वेबसाइट आदि का निर्माण भी इसी चरण का हिस्सा है।

ज्ञान का वितरण

ज्ञान की रचना, संकलन, साझा करना, संचित करना यह सभी चरण तभी उपयोगी हैं जब संस्थान/परियोजना ज्ञान को वितरित करने की एक कारगर रणनीति बनाये। साथ ही हमें उन पक्षों के बारे में भी विचार करना होगा जिनसे हम कार्यकताओं, हितभागियों व लाभार्थियों को उपलब्ध ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करें। ज्ञान वितरण पर आधारित कार्यशालाओं का निश्चित अंतराल में आयोजन भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। ज्ञान वितरण की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हमें विभिन्न स्तरों (ग्राम, क्लस्टर, विकासखण्ड, जनपद व राज्य) स्तर पर इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने होंगे अथवा मानव संसाधन प्रशिक्षित करने होंगे जिनके द्वारा ज्ञान का वितरण ठीक प्रकार से हो।

क्रियान्वयन में उसे लागू करना

ज्ञान प्रबन्धन, संस्थान/परियोजना के लक्ष्यों को पाने का एक साधन मात्र है। ज्ञान प्रबन्धन का मूल उद्देश्य, संस्थान/परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करना है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किये जा सकते है जब सृजित, संचित व उपलब्ध ज्ञान के उपयोग को संस्थान/परियोजना के क्रियान्वयन में लाया जाये। इसके लिए संस्थान की एक व्यापक रणनीति होनी चाहिए। ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग तभी संभव है जब जिस स्तर पर भी ज्ञान की आवश्यकता है उस आवश्यकता को समझा जाये व उसके अनुसार ज्ञान की उपलब्धता की व्यवस्था की जाए। रणनीति में यह शामिल होना चाहिए कि ज्ञान की आवश्यता को किस प्रक्रिया से समझा जायेगा व वह कौन सी प्रक्रियायें होंगी जिनके माध्यम से ज्ञान की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जायेगा?

प्रबन्धक: ज्ञान प्रबन्धन
UGVS-ILSP

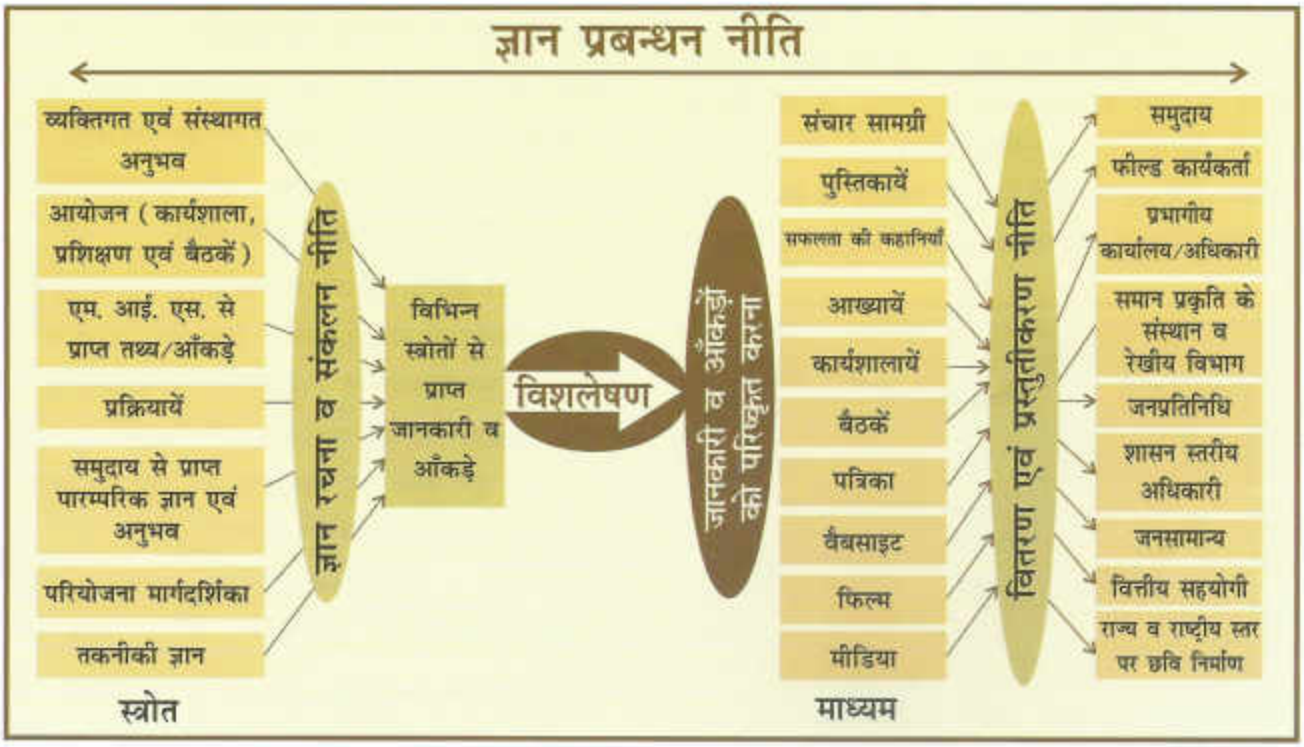

ज्ञानवर्धन लेख

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को न्यूनतम करने में लघु काश्तकार अधिक सहायक हो सकते हैं : संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि इकाई अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) द्वारा जारी एक अध्ययन रिपोर्ट में कृषि एवं पर्यावरण विषय पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिये उसकी रोकथाम करने की अपेक्षा उनके साथ अनुकूलन (Adaptation) के उपायों को ग्रहण करने पर अधिक जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की कृषि इकाई द्वारा किये गये इस अध्ययन के अनुसार लघु किसानों को सहयोग करना और उन पर निवेश करना जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने का एक कारगर उपाय है।

अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि लघु किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन की दिशा में किये गये सफलतम प्रयोगों का उपयोग करना सिखा दिया जाय तो इससे कार्बन-डाइ-ऑक्साइड के उत्सर्जन या इमीशन को एक सीमा तक रोका जा सकता है।

IFAD ने लघु काश्तकारों को विशेष रूप से अनुकूलन या एडेप्टेशन गतिविधियों को सिखाया है जिनमें उन्नत एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेज, वनीकरण और बंजर भूमि का पुर्नवास आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संचार केन्द्र के अनुसार इन प्रैक्टिसेज से किसानों की फौरी जरूरतों जैसे असमय वर्षा, फसल चक्र में बदलाव व फसल के लिए उपयुक्त जलवायु से संबंधित कुछ चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार यह

उपाय प्रथम चरण में 30 मिलियन टन तक कार्बन के उत्सर्जन को रोकने में सहायता करेंगे।

IFAD की यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में छोटे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। यदि लघु किसानों पर सही निवेश किया जाये तो वे एक विकसित होते उपग्रह के निवासियों को भोजन करा सकते हैं और साथ ही जर्जर होते इको-सिस्टम तथा कम होते हुये कृषि कार्बन फुटप्रिंट को भी बचा सकते हैं। कृषि शोधकर्ता बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अनुकूलन प्रौद्योगिकी व नवीनतम तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक वित्तीय सहयोग जलवायु परिवर्तन को समाप्त करने के लिये दिये जाते हैं न कि इसकी अनुकूलन प्रैक्टिसेज के लिये। भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिये यदि छोटे स्तर पर खेती बाड़ी करने वाले विश्व के अधिकांश सीमित कृषि भूमि वाले लघु काश्तकारों की पंहुच इस वित्तीय सहयोग तक हो सके तो काफी अच्छा होगा।

वर्तमान में IFAD 40 से अधिक देशों में विभिन्न परियोजनाओं को सहयोग दे रहा है।

साभार : http://www.telesurtv.net

समुदाय की आवाज

सुनीता कहती है कि हमने अदरक उत्पादन की शुरूआत की है तथा डेयरी पर भी काम कर रहे हैं। अभी हमने शुरूआत की है। सभी समूह सदस्य खुश हैं। परियोजना का मार्केटिंग में सहयोग मिलता रहा तो अवश्य कुछ अच्छा कर पायेंगे जिससे हमारी आजीविका में बढ़ोत्तरी होगी।

श्रीमती सुनीता देवी, ग्राम जैकंडी
अध्यक्ष
उच्छ डुंगरी आजीविका स्वायत्त सहकारिता,
अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग

हमारे आजीविका संगठन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हमारे क्षेत्र में आलू व राजमा बहुतायत में होता है। उत्पादों के संग्रहण एवं विपणन हेतु हमने आजीविका संगठन का कलैक्शन सेंटर बनाया है, जहाँ पर हम उत्पादों को संग्रहित कर विपणन करेंगे। साथ ही क्षेत्र के किसान अपने उत्पाद बेचने के लिए यहाँ पर सम्पर्क कर सकेंगे। परियोजना के मार्गदर्शन में हमारा आजीविका संगठन सशक्त बनकर किसानों के लिए कार्य सके तथा बिचौलियों के साथ प्रतिस्पर्धा में कार्य कर सके बस यही उम्मीद है।

श्रीमती नीमा देवी, ग्राम चेपडोन
अध्यक्ष
नंदा देवी आजीविका स्वायत्त सहकारिता
थराली, चमोली

श्रीमती तारा देवी ने समूह से एक लाख का ऋण लिया है और वह मुर्गीपालन का कार्य कर रही हैं। मुर्गीपालन से उन्हें प्रतिवर्ष ₹60 हजार की शुद्ध आमदनी हो जाती है। इसके अतिरिक्त सब्जी और दूध बेचने से भी उनको अतिरिक्त आय हो जाती है। परियोजना से जुड़ने के बाद तारा देवी के जीवन स्तर में सुधार आया है।

श्रीमती तारा देवी
जगदम्बा स्वयं सहायता
माँ पूर्णागिरि स्वायत्त सहकारिता,
लमगड़ा, अल्मोड़ा

श्रीमती देवकी देवी ने परियोजना के मार्गदर्शन में बेमौसमी सब्जी उत्पादन की शुरूआत की। वर्तमान में देवकी देवी प्रति वर्ष ₹ 45-50 हजार की सब्जी बेचती हैं। इसके अतिरिक्त वह प्रतिदिन 8 लीटर दूध भी बेचती हैं। देवकी बताती हैं कि उन्होंने समूह से ऋण लेकर एक दुकान खोली जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है। इन सभी स्त्रोतों से उनको लगभग ₹1000/- प्रतिमाह की आय हो जाती है। अपनी सफलता का श्रेय वह परियोजना को देती है।

श्रीमती देवकी देवी
भगवती स्वयं सहायता समूह
माँ पूर्णागिरि आजीविका स्वायत्त सहकारिता
लमगड़ा

श्रीमती शोभा देवी कहती हैं कि हमारे क्षेत्र में कृषि के अन्तर्गत अदरक उत्पादन तथा बकरी एवं मुर्गीपालन का कार्य किया जा रहा है। समूह के सदस्यों की आजीविका संगठन से बहुत आशाएं हैं। अभी हमारे आजीविका संगठन की शुरूआत है। हमारा मनोबल बना रहे और हम कार्य करते रहे, इसके लिए हमें प्रशिक्षण एवं कार्य सीखने हेतु दूसरे क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता है। आशा है परियोजना हमें ये कार्य सिखाने में सहयोग करेगी।

श्रीमती शोभा देवी, ग्राम
अध्यक्ष
दिव्येश्वरी आजीविका स्वायत्त सहकारिता
गरूड़, बागेश्वर

श्रीमती चन्द्रकला देवी बताती हैं कि हमारे क्षेत्र में आलू बहुत होता है। परन्तु खेतों से सड़क की दूरी अधिक होने के कारण फसल को औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है। ढुलान में बहुत खर्च आता है। परियोजना के सहयोग से यदि हमारे क्षेत्र में ढुलान के लिए ट्रॉली लग जायेगी तो हम सही ढंग से फसल का विपणन कर सकेंगे, जिससे क्षेत्र के उत्पादकों को बहुत फायदा होगा।

श्रीमती चन्द्रकला देवी
अध्यक्ष
ब्रहमताल आजीविका स्वायत्त सहकारिता
गरूड़, बागेश्वर

– सम्पर्क पते –

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति (UGVS)

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई

- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा
  टेलीफैक्स: 05962-230910, 230305,
  ईमेल: dpmalmora@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, बागेश्वर
  टेलीफैक्स: 05963-221502, 211746
  ईमेल: dpmbageshwar@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, चमोली
  टेलीफैक्स: 01372-251355, 251451
  ईमेल: dpmchamoli@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, टिहरी
  टेलीफैक्स: 01376-256133, 256249
  ईमेल: dpmtehri@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तरकाशी
  टेलीफैक्स: 01373-223925, 223466
  ईमेल: dpmuttarkashi@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, रुद्रप्रयाग
  ईमेल: dpmrudraprayag@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़
  ईमेल: dpmpithoragarh@ugvs.org
- प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून
  ईमेल: dpmdehradun@ugvs.org

परियोजना की सहयोगी संस्थाएं

क्र०सं०	तकनीकी एजेंसियां	ब्लॉक समन्वयक	विकासखण्ड	जनपद
1	CBED (सीबैड) (सेंटर फॉर बिजनेस एण्ड एंटरप्रिनोरियल डवलेपमेंट सोसायटी, देहरादून)	9410131570	जौनपुर	टिहरी
		9012665853	मुनाकोट	पिथौरागढ़
2	SBMA (एस०बी०एम०ए०) (श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, टिहरी)	9927465474	गरुड	बागेश्वर
		8937090529	धराली	चमोली
3	GRASS(ग्रास) (ग्रामीण समाज कल्याण समिति, अल्मोड़ा)	9412167235	हवालबाग	अल्मोड़ा
		9412927804	सल्ट	
4	ATI (ए०टी०आई०) (एप्रोपिएट टैक्नोलॉजी इंडिया, देहरादून)	8006407512	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
		8006407505	चम्बा	टिहरी
5	ASEED (असीड) (एशियन सोसायटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डवलेपमेंट, दिल्ली)	8476899997	जखोली	रुद्रप्रयाग
		9756829729	अगस्तमुनि	
6	IFFDC (आई०एफ०एफ०डी०सी०) (इण्डियन फार्म फॉरेस्ट्री डवलपमेंट को-ऑपरेटिव लि०, गुड़गाँव)	9456595651	भिकियासैंण	अल्मोड़ा
		9456595651	चौखुटिया	
7	HARC (हार्क) (हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून)	9456166215	कालसी	देहरादून
		9971499218	चकराता	

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना कार्यक्षेत्र

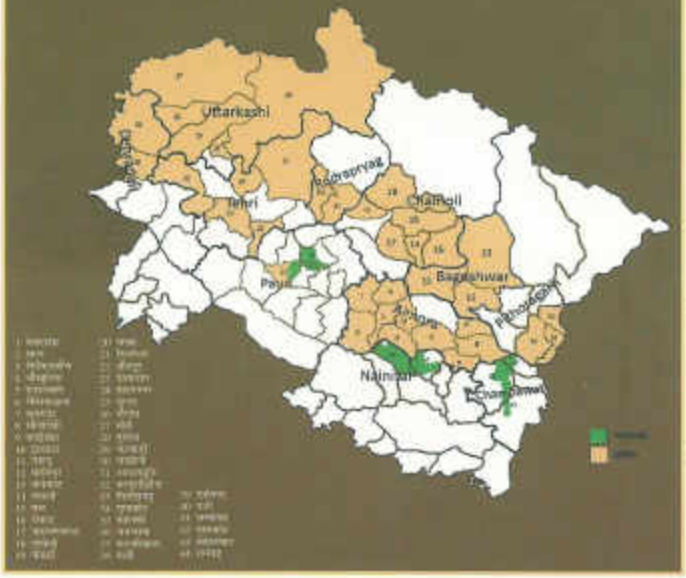

परियोजना समिति-
जलागम प्रबंध निदेशालय (PS-WMD)

परियोजना समिति-जलागम प्रबंध निदेशालय,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना
इन्दिरानगर, देहरादून, टेलीफैक्स: 0135-2760362,
ईमेल: pdilsp.wmd@gmail.com

प्रभाग कार्यालय

- प्रभाग कार्यालय ILSP-WMD, पौड़ी
  मो० : 9411113132 ईमेल: dpdilsppauri@gmail.com
- प्रभाग कार्यालय ILSP-WMD, नैनीताल
  मो० : 9456540839, ईमेल: dpdhaldwani@rediffmail.com
- प्रभाग कार्यालय ILSP-WMD, चम्पावत
  मो० : 9411113414, ईमेल: dpdchampawat@gmail.com

परियोजना फील्ड एन.जी.ओ.-HIFEED

(Himalayan Institute For Environment Ecology & Development)

- एन.जी.ओ.समन्वयक, ILSP-WMD, पौड़ी, मो० : 9756155431
- एन.जी.ओ.समन्वयक, ILSP-WMD, नैनीताल, मो० : 7838823689
- एन.जी.ओ.समन्वयक, ILSP-WMD, चम्पावत, मो० : 9410901693

प्रकाशक: श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति
संपादकीय टीम: ज्ञान प्रबंधन इकाई
पता: 216, फेज II, पंडितवाड़ी, देहरादून, टेलीफैक्स: 0135-2774800, 2773800
ईमेल: info@ugvs.org,krn@ugvs.org वेबसाईट: www.ugvs.org

IFAD Investing in rural people

केवल सीमित वितरण हेतु प्रकाशित